खण्ड-183, अंक-8
गुरूवार, 19 वैशाख, शक संवत् 1879
(9 मई, 1957 ई0)

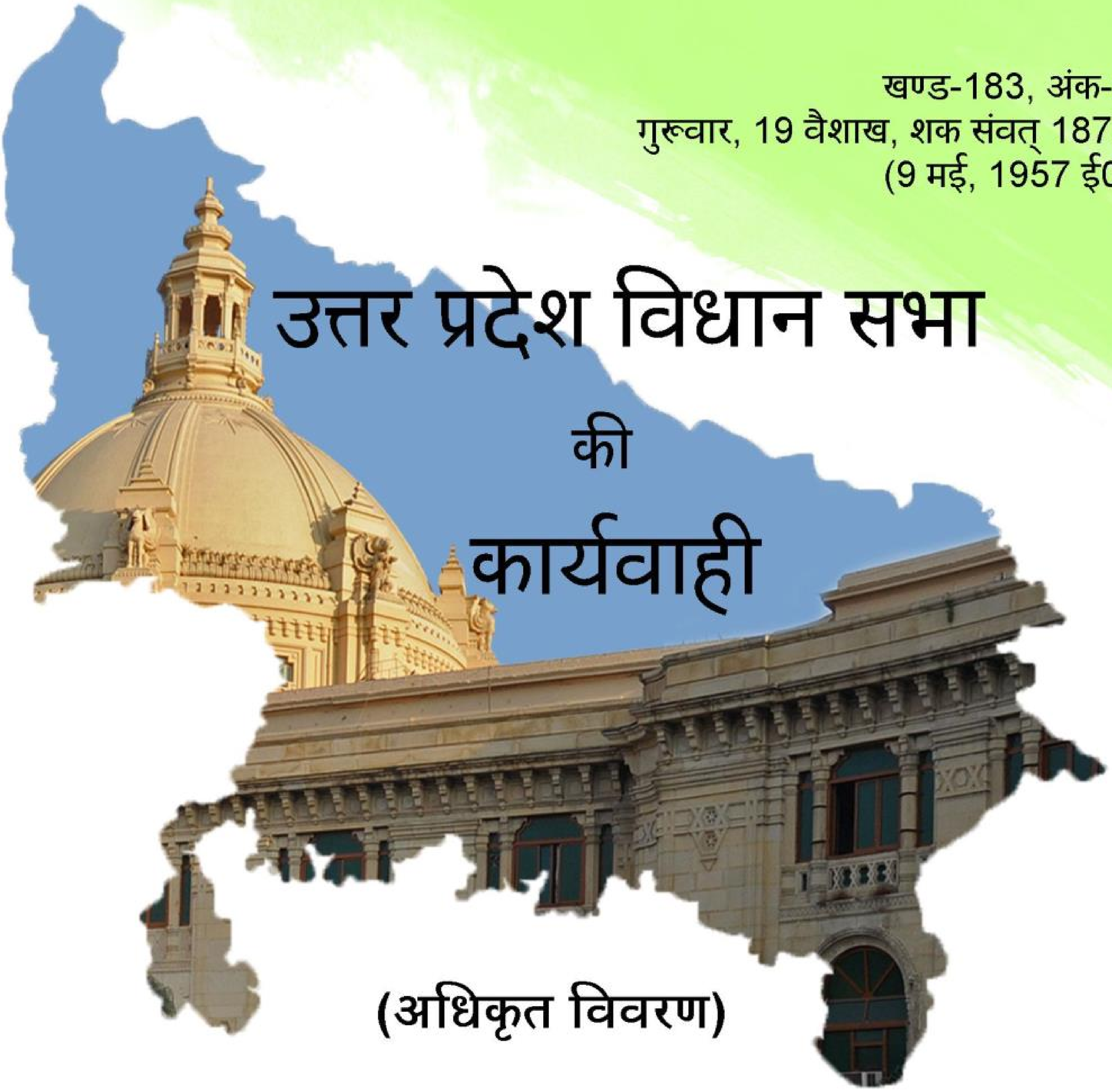

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 183 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ९ मई, १९५७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३८६)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशफाक अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरू
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री

गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चंद्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेंद्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री

नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री

श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेंद्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ९ मई, १९५७

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में ओलाग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

*१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील के किन-किन ग्रामों की रबी की फसल ५ मार्च, १९५७ की भीषण ओला वर्षा से कितनी क्षति हुई है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील को छोड़ कर शे ५ तहसीलों में, गत ५ मार्च में ओला पड़ने से फसल को ६ आने या उससे अधिक की हानि पहुंची कुल २,३१० गांवों में लगभग १,८०,००० एकड़ की फसल क्षतिग्रस्त हुई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षतिग्रस्त गांवों में अब तक सरकार की ओर से कितनी सहायता प्रदान की जा चुकी है ?

श्री चरणसिंह—४३,००० रुपये ग्रेटुई रिलीफ दिया गया है, २५ हजार रुपये तकावी में बांटे गये हैं, १० थान मारकीन के, ५२५ बनियाइनें, बच्चों के कपड़े और कम्बल वगैरह बांटे गये। मालगुजारी ३,५१,४२८ रुपया २ आना मुल्तवी की गयी, तक़ावी १,१०,९३४ रुपया १४ आना ३ पाई मुल्तवी की गयी तथा दूकानें सस्ता गल्ला बेंचने के लिए खोली गयीं और चरखे मुफ्त बांटे गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ओलापीड़ित तहसीलों में, तहसील सदर के दुर्वासा गांव में और तहसील घोसी के हरियांव के लेखपाल सर्किलों के गांवों में तकावी की वसूली अभी मुल्तवी नहीं हुई है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, मुझको नहीं मालूम है। आपके यहां तो ६ हजार गांव होंगे, उनके नाम मुझे कैसे मालूम होंगे।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को यह मालूम है कि आजमगढ़ जिले के वह हिस्से, जहां ओला नहीं पड़ा है, वहां फसल देर में बोने के कारण तथा हवा तेज चलने के कारण दो आने से चार आने तक ही क्षति हुई है ?

श्री चरणसिंह—यह मुझे मालूम है कि जहां ओला नहीं भी पड़ा है वहां फसलों को देर में बोने के कारण और हवा चल जाने के कारण तथा अन्य कारणों से, नुकसान हुआ है, लेकिन मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि वहां केवल २ आना से ४ आना तक ही हुई है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में रबी की फसल में कितनी छूट दी गयी ?

श्री चरणसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ओला से क्षतिग्रस्त गांवों में जो सरकारी बीज बकाया था या जो कोआपरेटिव का कर्जा था, वह मुल्तवी किया गया है या नहीं ?

श्री चरणसिंह—तकावी की वसूलयाबी बनारस और गोरखपुर डिवीजन के ११ के ११ जिलों में बन्द कर दी गयी है, चाहे वे ओलाग्रस्त गांव हों या न हों।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी के पास इस बात की सूचना है कि ऐसे कितने गांव हैं, जिनमें ओले से पूरी फसल नष्ट हो गयी है ?

श्री चरणसिंह—२,३१० गांव ऐसे हैं जिनमें ओले से नुकसान हुआ है। इनमें से पूरे कितने नष्ट हो गये, इसकी इत्तला इस वक्त मेरे पास नहीं है; इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार ने श्री तारकेश्वर पांडेय, प्रधान मंत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बयान को देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ९ जिलों की ८० प्रतिशत रबी की फसल बरबाद हो गयी है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, अखबार तो मैं रोजाना पढ़ता हूं।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार ने श्री तारकेश्वर पांडेय के बयान को पढ़ने के बाद इस संबंध में कोई जांच करा कर उस पर उचित कार्यवाही करने की मेहरबानी की है ?

श्री चरणसिंह—मेरे लिये श्री तारकेश्वर पांडेय का बयान वैसा ही है जैसा कि श्री गेंदा सिंह जी का है।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन-जिन जगहों में ओले गिरे हैं, उनमें जिला खीरी भी है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह आजमगढ़ के संबंध में सवाल है, खीरी से उसका कोई संबंधनहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार के पास ऐसी सूचना है कि आजमगढ़ के ओलाग्रस्त क्षेत्रों में पिछले वर्ष के पंचायत टैक्स और तकावी की वसूली इस समय भी की जा रही है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, यह तकावी या मालगुजारी वगैरह, जितने गवर्नमेंट के देय हैं, उनको स्थगित करने का आर्डर जारी हो चुका है। इस आर्डर के हो जाने के बाद कहीं वसूली हो रही हो तो उसकी सूचना आप दे सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि आजमगढ़ के जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले में ओला वृष्टि के संबंध में सरकार को क्या रिपोर्ट दी है?

श्री चरणसिंह—जैसा कि मैंने बतलाया कि २,३१० गांवों में ओले पड़े हैं और १,८०,००० एकड़ भूमि की फसल को नुकसान पहुंचा है।

श्री झारखंडेराय—क्या अन्न मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको इस बात की सूचना है कि जिन गांवों में ओले से नुकसान हुआ है, उनमें ऐसे गांव के क्षेत्र भी हैं जहां खरीफ की फसल भी बाढ़ और सूखा के कारण बिलकुल नष्ट हो गयी थी? यदी हां, तो सरकार की ओर से उनके लिए विशेष सहायता का प्रबन्ध किया गया है?

श्री चरणसिंह—मैंने जैसा अर्ज किया, सहायता जो दी गयी है, वह मैंने बहुत तफसील से बतला दी है। कलक्टर का जो आखिरी खत आया है, उसमें उन्होंने ३०,००० रु० की तकावी के लिये मांग की है, उसे भेजा जा रहा है और जिन गांवों में ओले पड़े हैं, यह बात ठीक है कि उनमें बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें बाढ़ भी आयी थी और अनावृष्टि से भी उनको नुकसान पहुंचा है।

आगरा जिले की सदर तहसील में ओला पीड़ितों को सहायता

*२—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा सदर तहसील में ओले और पानी से गत माह कितनी हानि हुई और सरकार ने संकटग्रस्त किसानों को सहायता पहुंचाने के लिये क्या किया?

श्री चरणसिंह—आगरा जिले की सदर तहसील में गत वर्ष मार्च के महीने में ओला तथा पानी से २३७ गांवों की फसल की ४ आने से १६ आने तक की हानि हुई।

संकटग्रस्त किसानों की सहायता के लिये सरकार ने १०,००० रु० अहेतुक सहायता तथा १,५०,००० रु० तकावी बांटने को स्वीकृत किया है। मालगुजारी तथा अन्य सरकारी मतालबों की वसूली अधिक क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में स्थगित है तथा जांच के बाद नियमानुसार छूट आदि मंजूर की जायेगी।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि आगरा सदर तहसील में सहायता देने के लिये जिला मैजिस्ट्रेट ने कितनी रकम की मांग की थी?

श्री चरणसिंह—मैं इस वक्त ठीक नहीं बतला सकता हूं कि उन्होंने कितनी रकम की मांग की थी, लेकिन आमतौर पर यह होता है कि जितना कलक्टर मांगते हैं, वह यहां से मंजूर हो जाता है।

श्री रामसिंह चौहान (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों में ओले से क्षति हुई है और वर्षा से क्षति हुई है, उनमें अभी भी पंचायत टैक्स और लगान की वसूली जारी है?

श्री चरणसिंह—पंचायत टैक्स के बारे में तो मालूम नहीं, बहुत मुमकिन है जारी हो, और अगर हानि कम हुई है तो मालगुजारी की वसूली भी जारी होगी।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कितने गांवों में रुपये में ४ आना फसल तैयार हुई है और कितनों में ४ आना से अधिक ?

श्री चरणसिंह---इसके लिये नोटिस चाहिये, क्योंकि मेरे पास २३७ गांवों की तफसील नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि किसानों को बीज की सहायता देने के लिये भी कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री चरणसिंह---इस समय बीज का क्या सवाल उठता है ?

प्रतापगढ़ जिले में ओलापीड़ितों को तकावी

*३---श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में गत मार्च में ओले के पड़ने के कारण कितने गांवों को क्षति पहुंची है और सरकार की ओर से उन गांवों को क्या सहायता दी गई है ?

श्री चरणसिंह---गत मार्च मास में प्रतापगढ़ जिले के कुल ४७६ गांवों में ओले पड़े, जिनका तहसीलवार ब्योरा इस प्रकार है :---

१---तहसील सदर	७९
२---तहसील कुडा	५३
३---तहसील पट्टी	३४४

हानि रुपये में २ आने से लेकर १६ आने तक है।

सरकार ने सहायता के लिये निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किया है:---

	रु०
१---अहेतुक सहायता	१०,०००
२---तकावी	५०,०००

इसके अतिरिक्त कुछ कपड़े भी बांटे गये और ८ आना या उससे अधिक हानि वाले गांवों में मालगुजारी में छूट या मुल्तवी भी कायदे के अनुसार दी जायेगी।

श्री रामअधार तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो तकावी दी गई है, वह इन्टेरेस्ट 'फ्री' है या विद इन्टेरेस्ट है ?

श्री चरणसिंह---वह मय ब्याज के है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रतापगढ़ में जो ४७६ गांवों में ओले से क्षति हुई है, उसके कारण क्या वहां के विद्यार्थियों को फीस में कोई छूट दी गयी है ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ओलाग्रस्त गांवों में तकावी व पंचायत टैक्स की वसूली अब भी जारी है ?

श्री उपाध्यक्ष---यह हर जिले के बारे में पूछा जा रहा है, माननीय मंत्री जी को मालूम हो तो बता दें।

श्री चरणसिंह---नियम के अनुसार वहां कार्यवाही हो रही होगी, मालगुजारी और आबपाशी के अलावा जो धन सरकार को देय हैं, उनके स्थगित किये जाने के सिलसिले में जो मैंने बताया, वह केवल बनारस और गोरखपुर के क्षेत्र से वास्ता रखता है और बाक़ी की वसूली लैंड रेवेन्यू मैनुअल के अनुसार बदस्तूर हो रही होगी।

श्री रामअधार तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो विद इन्टेरेस्ट तकावी की वसूली हो रही है यह केवल एक ही जिले में हुई है या और जिलों में भी की गई है ?

श्री चरणसिंह—वैसे तो सूबे भर में तकावी इन्टेरेस्ट पर ही दी जाती है, परन्तु सन् ५५ में एक बार विशेष अवस्था मानकर फ्लड एरिया में बिला ब्याज दे दी गई थी।

श्री नन्दराम—क्या मंत्री जी रबी सन् ५७ में, इन ओलाग्रस्त गांवों में लगान में छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—जी हां, ओला जहां पड़ा है उस से रबी की फसल को ही नुक्सान हुआ है और इसलिये छूट भी रबी के लगान में ही दी जायगी।

श्री रामअधार तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पचास हजार की तकावी जो प्रतापगढ़ जिले को दी गयी थी वह केवल प्रतापगढ़ तहसील के लिये ही मांगी गयी थी ?

श्री चरणसिंह—जो तकावी दी गयी है, मैं यह समझता हूं कि कलेक्टर ने सारे जिले के लिये मांगी होगी, लेकिन अगर ऐसा है कि किसी और तहसील में देने की जरूरत है और कलेक्टर मांगेंगे तो जरूर दी जायगी।

*४-५—श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—[स्थानान्तरित किये गये।]

बलिया जिले में वर्षा एवं ओलापीड़ितों को सहायता देने के लिए प्रार्थना

*६—श्री गौरीशंकर राय—क्या माल मंत्री को यह ज्ञात है कि जिला बलिया के देहाती क्षेत्रों में ५ मार्च, सन् १९५७ और उसके बाद की असमय वर्षा एवं ओला वृष्टि के कारण अत्यधिक फसल, चारा आदि का नुक्सान हुआ है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, असमय वर्षा एवं ओला वृष्टि के कारण बलिया के देहाती क्षेत्रों में फसल, चारा आदि का नुक्सान हुआ है।

*७—श्री गौरीशंकरराय—यदि हां, तो क्या माल मंत्री उन क्षतिग्रस्त गांवों की क्षति की तालिका (आनों में) सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—५०४ गांवों में ओले गिरे थे। हानि का अनुमान नगण्य से लेकर रुपये में १६ आने तक है।

*८—श्री गौरीशंकर राय—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त क्षतिग्रस्त गांवों में अब (१० अप्रैल, १९५७) तक कितनी-कितनी सहायता, किन-किन मदों में दी जा चुकी है ?

श्री चरणसिंह—ओलों द्वारा क्षतिग्रस्त गांवों में मालगुजारी की वसूली स्थगित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त २०,००० रु० की तकावी तथा ३,००० रुपये अनुदान के रूप में सहायता दी जा चुकी है। कुछ कपड़े, कम्बल, जो कुछ भी बाढ़ सहायता के स्टाक में बचे थे, वे भी बांटे गये।

श्री गौरीशंकरराय—क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ५०४ गांवों में से कुल कितने गांव ऐसे हैं, जहां पर मालगुजारी की वसूली स्थगित है ?

श्री चरणसिंह—जहां-जहां कलेक्टर ने मुनासिब समझा है। उनको अख्तियार है कि जहां वह यह समझते हैं कि आठ आने या उससे ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां वह खुद ही मालगुजारी सस्पेंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट को रेफर करने की जरूरत नहीं है।

श्री शिवमंगलसिंह (जिला बलिया)---क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्षतिग्रस्त गांवों में जो सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने का आदेश हुआ है, उसके लिए पर्याप्त गल्ला बलिया जिले में भेजा गया है ?

श्री चरणसिंह---गवर्नमेंट इस सिलसिले में आवश्यक कार्यवाही कर रही है। अभी बलिया जिले के कलेक्टर को बुलाया गया था और पूर्वी जिलों के कुछ कलेक्टरों को भी बुलाया गया था। उस सिलसिले में माननीय खाद्य मंत्री जी ने बहुत तफसील से बातें की हैं, लेकिन मुझे बलिया विशेष की बाबत कि कितना गल्ला वहां है यह नहीं मालूम है।

श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि ये ५०४ गांव वही हैं जो कि बाढ़ ग्रस्त गांव १९५६ में थे ?

श्री चरणसिंह---मैं यह नहीं कह सकता कि यह बात सही है या नहीं, लेकिन सम्भावना यह है कि इनमें से बहुत से गांव ऐसे होंगे जो पहले बाढ़ग्रस्त रह चुके होंगे।

श्री बंशीधर शुक्ल---क्या सरकार को इस बात का पता है कि लखीमपुर जिले में कितने गांवों में अति वर्षा हुई और क्या-क्या उसमें सहायता दी गयी ?

श्री उपाध्यक्ष---यह प्रश्न बलिया से सम्बन्धित है। मैं समझता हूं कि बलिया का असर लखीमपुर पर नहीं पड़ना चाहिये।

श्री गौरीशंकरराय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कमी के क्षेत्रों में बाहर से अन्न और चारा मगाने की सरकार की ओर से कोई विशेष व्यवस्था हो रही है ?

श्री चरणसिंह---चारे की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। अन्न की की जा रही है।

श्री गेंदासिंह---५०४ गांवों में केवल माननीय मंत्री जी ने बताया। बलिया में ५०४ गांवों के अलावा जो फसल खराब हुई है, उसके लिये कोई जांच हुई है और उसके लिये मालगुजारी में छूट या सहायता करने की बात सोची जा रही है ?

श्री चरणसिंह---मैंने अर्ज किया कि गोरखपुर और बनारस कमिश्नरी के जिलों के सिलसिले में यह आदेश जारी हुए हैं कि मालगुजारी और आबपाशी के अलावा जो और गवर्नमेंट के देय हैं, वह स्थगित कर दिये जायं। एक तो यह।

दूसरी बात यह है कि जो पहली फसलों के सस्पेंडेड एरियर्स थे, जिनके मुताल्लिक हुक्म यह था कि रबी के साथ वसूल किये जायेंगे, वह भी मुल्तवी किये जायं। आगे को भी इस तरह के एरियर्स वसूल हो सकते हैं, यह नहीं है। कलेक्टर्स से रिपोर्ट मांगी है। जहां तक रबी की फसल का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक़ यह आर्डर हुआ है कि उन सब इलाकों में जो पहले बाढ़ग्रस्त रह चुके हैं, रुपये में ४ आने की छूट दे दी जाय, यह मानकर कि कम से कम ६ आना फ़सल को नुकसान हुआ है।

श्री गौरीशंकरराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने अन्न की आवश्यकता बलिया जिले को है और अभी तक वह कितना अन्न भिजवा चुके हैं ?

श्री चरणसिंह---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मंत्री जी ने बतलाया कि गोरखपुर और बनारस कमिश्नरी में मालगुजारी के अतिरिक्त और ड्यूज को मुल्तवी कर दिया गया। क्या सरकार बतायेगी कि कब यह आदेश जारी हुए और आदेश भेजने के बाद यदि वसूली हुई हो, तो जिन राज कर्मचारियों ने वसूली की, उनको सरकार दंडित करेगी ?

श्री चरणसिंह—यह आदेश ४ मई को भेजे गये और मुझे इस बात पर कोई आशंका नहीं है कि आर्डर देने के बाद वसूली हुई है। यह हो सकता है कि जिले में यह आदेश पहुंचे हों और देहातों में पहुंचने में देर हो जाय और उस बीच में वसूली हुई हो। मैं यह नहीं मानता कि राज कर्मचारी होने से कोई गलती नहीं करता।

श्री राजनारायण—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब ओला पत्थर अति वर्षा बहुत पहले हो चुकी थी तो अन्य ड्यूज को मुल्तवी करने का आदेश ४ मई को क्यों गया?

श्री चरणसिंह—मेरे मित्र को मालूम होना चाहिये कि जहां कलेक्टर यह समझता है कि नुकसान ८ आने तक हुआ है, वहां तो मुल्तवी खुद ही कर सकता है। यह जो आदेश जारी हुए हैं, यों नहीं हुए कि ५ मार्च को ओला पड़ा, इसके लिये तो उनको खुद सस्पेंड कर देने का अधिकार है। यह आदेश तो इसके मुताल्लिक़ है, जो हवा की वजह से और लेट सोइंग की वजह से फ़सल खराब हो गई और जिसका मुआयना मौके पर नहीं हो सका। उसमें हमने यह फर्ज करके कि ६ आना नुकसान हुआ होगा, उसके मुताल्लिक आर्डर दिये हैं। बाढ़ या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई थी, उसको तो पहले ही मुल्तवी कर दिया।

श्री गेंदासिंह—फसल को जो क्षति हुई है उसके सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आई है, मेरे अनुमान में, उस से बहुत अन्तर पड़ रहा है। तो सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि यह जो कन्फ्यूजन है, वह दूर हो सके और सही-सही रिपोर्ट सरकार को मिल सके कि रबी की फसल कितनी बरबाद हुई है?

श्री चरणसिंह—मुझको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। गवर्नमेंट के राज कर्मचारियों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसलिये मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता। अभी हाल में कलेक्टर लोगों से इस सिलसिले में मश्विरा हो चुका था जो यहां आये थे।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी को मालूम है कि देश के विभिन्न अन्न केन्द्रों से बलिया में गल्ला मंगाने के लिये बुकिंग की सुविधा नहीं है? इसको दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री चरणसिंह—साहब, जो भी कठिनाई और असुविधा होगी उन सब को दूर करके बलिया में अन्न पहुंचाने की कोशिश की जायगी। इसकी फिक्र माननीय मित्र न करें।

*९-१०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—[स्थगित किये गये।]

*११-१२—श्री प्रतापसिंह—[स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर जिले के ओलाग्रस्त ग्रामों को सहायता

*१३—श्री रघुराज सिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर के देहाती क्षेत्रों में विगत मार्च मास में भयंकर ओलावृष्टि के कारण किन-किन ग्रामों में फ़सल का कितना-कितना नुक्सान हुआ?

श्री चरणसिंह—गत मार्च मास में बुलन्दशहर की तहसील सदर तथा सिकन्दराबाद के ५२८ ग्रामों में ओला वृष्टि से फसल को हानि पहुंची। इनमें से १९९ ग्रामों में हानि रुपये में आठ आना या उससे अधिक है। इन ग्रामों की सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

*१४—श्री रघुराजसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त ग्रामों को सहायता दिये जाने हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

नोट—तारांकित प्रश्न १३ व १४ श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव ने पूछे।

श्री चरणसिंह—सरकार ने संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिये निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किये हैं:—

	रु०
(१) अहेतुक सहायता	५०,०००
(२) तकावी	६,५०,०००

इन अनुदानों के अतिरिक्त सभी सरकारी तथा सहकारिता विभाग के मतालबों एवं पंचायत कर की वसूली उन गांवों में स्थगित कर दी गई है, जिनमें हानि आठ आने या उससे अधिक है। मालगुजारी में छूट अथवा मुल्तवी भी कायदे के अनुसार दी जायेगी।

श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, बड़े महत्व का प्रश्न है। अभी तो आधा घंटा से ज्यादा वक्त है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न और पूछना चाहता हूं। अगर आप उचित समझें तो.....

श्री उपाध्यक्ष—अब तो मैं आगे बढ़ गया हूं और मैं समझता हूं कि मैं काफी उदार हूं इस सम्बन्ध में और काफी समय दे दिया गया है।

श्री बंशीधर शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष जी, जब गोंडा के प्रश्न पर देवरिया के सम्बन्ध में प्रश्न करने की अनुमति दी जा रही है तो हमें लखीमपुर-खीरी के सम्बन्ध में प्रश्न करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती, जहां इतने जोर से वर्षा हुई है और बाढ़ आई है?

श्री उपाध्यक्ष—होता यह है कि जब एक माननीय प्रश्नकर्ता के प्रश्न पर माननीय मंत्री जी जनरल जवाब दे देते हैं तो साधारण पूरक प्रश्नों की इजाजत दे दी जाती है, लेकिन एक विशेष स्थान के प्रश्न पर कई जिलों का जनरल प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि क्षति की जो रिपोर्ट वहां के माल विभाग के कर्मचारियों ने दी है, वह ग़लत है? और अगर यह मालूम है, तो माननीय माल मंत्री जी सही रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये कौन सा कदम उठाने की सोच रहे हैं?

श्री चरणसिंह—मुझको यह मालूम है कि माननीय मित्र ने जो यह कहा है कि राज्य कर्मचारियों की रिपोर्ट ग़लत है, यह बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने यह फर्ज कर के सवाल किया है कि माल विभाग के राज्य कर्मचारी सभी गलत रिपोर्ट देते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रान्त के प्रायः सभी जिलों में ओलों की वर्षा से हानि हुई है, जो सुविधायें बनारस और गोरखपुर डिवीजन को सरकार ने दी हैं कि वहां पर मालगुजारी और आबपाशी के अलावा और सरकारी देय जितने हैं, वह मुल्तवी कर दिये हैं, उसी प्रकार की आज्ञा प्रायः उन सब जिलों के लिए देने पर विचार कर रही है, जहां पर ओलों से नुकसान पहुंचा है?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। माननीय मित्र मेरी बात को समझे नहीं। प्रायः जहां आठ आने से ज्यादा हानि होती है, उस क्षेत्र में हर प्रकार के देय, अगर वह स्कीम के अन्दर आये, तो मुल्तवी कर दिये जाते हैं, चाहे बनारस डिवीजन हो, आगरा डिवीजन हो या इलाहाबाद डिवीजन हो। वह तो सभी जगह कर दिया है लेकिन बनारस और गोरखपुर डिवीजन में जहां ओला के अलावा बाढ़ भी आई है, क्योंकि बाढ़ पिछली बार सन् ५५ में भी आई, फिर सन् ५६ में भी आई—कितना नुकसान हुआ, इसका अनुमान आज तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि माल का कर्मचारी खेतों में जा कर उसका अनुमान नहीं लगा सकता, इसलिये कि फसल खलिहान में पहुंच गयी। तो वहां यह हुआ कि हवा और बदली के कारण नुकसान हुआ और अगर पहली फसल में आठ आने नुकसान हुआ है तो अगली फसल में अगर ६ आने भी नुकसान हुआ है तो भी ४ आने की छूट दी जायगी। वैसे आठ आने के नुकसान पर ४ आने छूट दिये जाने का नियम है। तो अबकी हमने यह तरीका अख्तियार किया है कि ६ आने

के नुक्सान पर ४ आने की छूट दे दी जाती है, अगर पहली फसल में आठ आने का नुकसान हुआ हो। अगर कोई और कैलेमिटी हो जाय तो दूसरी बात है, अगर ६ आने की हो तब भी हम चार आने की छूट दे देते हैं। इन पांच कमिश्नरियों में जो नुकसान हुआ है, वहां यही समझ कर छूट दी गई है। इसलिये सभी गांवों में जहां बाढ़ आई है, इसी तरह से हमने किया है। लेकिन यह नियम दूसरे जिलों पर लागू नहीं होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ४ मई वाले आदेश जो क्षति-ग्रस्त जिलों के संबंध में हैं, वह बुलन्दशहर में भी लागू होंगे ?

श्री चरणसिंह—अगर यह जिला बनारस और गोरखपुर डिवीजन में पड़ता हो।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन क्षेत्रों में लगातार कई वर्षों से प्राकृतिक विपत्तियां आती रहती हैं तो इनके लिये कोई आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—छूट के अलावा आर्थिक सहायता, ग्रेटुइटस रिलीफ, तकावी, फीस की माफी और गल्ले की सस्ती दूकानें आदि की दी जाती है, लेकिन इस समस्या का हल इन सहायताओं में नहीं है, बल्कि खेती की पैदावार बढ़ाने में है और भी दूसरे इलाज हैं। एक मैं जाती तौर पर कह रहा हूं कि वह पौपुलेशन कंट्रोल में हैं।

श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ओलाग्रस्त क्षेत्रों में टेस्ट वर्क्स खोलने का विचार किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—फिलहाल नहीं किया जा रहा है।

श्री राजनारायण—सरकार बार-बार यह कहती है कि ४ मई के लगभग पता चला कि इस प्रकार की क्षति हुई है, तो क्या सरकार को जानकारी है कि २५, २६ तथा २७ मार्च को सदन में कार्यवाही चल रही थी तो एक कामरोको प्रस्ताव के द्वारा मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि पूर्वी जिलों की फसल मर गई है, फसलें खड़ी मालूम होती हैं, लेकिन मुश्किल से मन डेढ़ मन बीघा अनाज होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो बुलन्दशहर का सवाल है।

श्री राजनारायण—सारे पूर्वी जिलों का जवाब माननीय मंत्री जी देते हैं तो उनके जवाब पर प्रश्न उठता है।

श्री चरणसिंह—मैंने तो सारे पूर्वी जिलों की बात नहीं कही, लेकिन चूंकि आपने इजाजत दे दी है, इसलिये मैं इसका जवाब देता हूं कि मैंने कभी नहीं कहा कि गवर्नमेंट को ४ मई के लगभग मालूम हुआ कि नुकसान हुआ। दूसरी बात यह है कि २६, २७ मार्च को जो बातचीत हुई थी, वह ओले के सिलसिले में हुई थी। तीसरी बात यह है कि माननीय राजनारायण जी के मुखारविन्द से अगर एक दो फिकरे निकल जाया करें तो वह मेरे लिए वेद वाक्य नहीं हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खलिहान में अनाज के आ जाने के बाद नुक्सान मालूम करने की कौन-सी विधि है ?

श्री चरणसिंह—कोई विशेष विधि नहीं है, माननीय गौरीशंकर जी से, गेंदासिंह जी और अफसरान तथा हवा से मालूम हो जाता है।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार इस बात को दूर करने के लिये कि अफसरान और पब्लिक के कार्यकर्ताओं में परस्पर विरोधी बातें कही जाती हैं, एक ४-५ आदमियों की कमेटी बनायेगी जिसमें पश्चिमी जिलों के मेम्बर्स हों, वह खलिहानों और घरों में जाकर स्थिति को मालूम करें ?

श्री उपाध्यक्ष---आपने शायद उस दिन महिलाओं का भी जिक्र किया था ?

श्री गेंदासिंह---जी हां ।

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अर्ज किया कि कितना नुकसान वाकई किसी किसान के यहां हुआ है, अब वह निश्चित तौर पर मालूम नहीं हो सकता । वह तो फसल जब खेत में खड़ी होती है तभी ठीक से अन्दाज लग सकता है । अब रहा यह कि पब्लिक वर्कर्स की राय एक है और राज्य कर्मचारियों की दूसरी, तो मैं मानता हूं कि एसा हो सकता है और है भी, लेकिन हमने तो बीच में गांठ लगाने की कोशिश की है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर और बनारस डिवीजन के जिन गांवों की मालगुजारी में चार आने की छूट देने की सरकार द्वारा घोषणा हुई है, अगर वहां की मालगुजारी वहां के अधिकारियों द्वारा वसूल कर ली गयी हो तो उसके सम्बन्ध में सरकारी आदेश क्या होगा ?

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, अब तक कहा यह जाता है कि उनके पास देने को कुछ है ही नहीं, तो वसूली कहां से हो गयी होगी ? दूसरी बात यह है कि १५ अप्रैल के बाद तो वसूली की बात चलती है और ४ मई को यह आर्डर्स जारी हो चुके हैं । और तीसरी बात यह है कि जहां वे ऐसी कठिनाई समझते हैं, वे खुद ही मुल्तवी कर देते हैं । फिर भी अगर कहीं ऐसा हुआ है तो उसको वापस करने के प्रश्न पर गवर्नमेंट विचार करेगी ।

गोंडा जिले के ओलापीड़ितों को सहायता

*१५---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत ५ मार्च, सन् १९५७ को गोंडा जिले के किन-किन तहसीलों में ओले पड़े हैं ?

श्री चरणसिंह---गोंडा जिले की तीन तहसीलों गोंडा, तरबगंज तथा उतरौला में ५ मार्च, १९५७ को ओले पड़े ।

*१६---श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ओलों से कहां-कहां फसल (रबी) आदि को क्षति पहुंची है ?

श्री चरणसिंह---ओलों से केवल तहसील तरबगंज तथा उतरौला में रबी की फसल को हानि पहुंची है । तहसील गोंडा में हानि नगण्य है ।

*१७---श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त क्षेत्र में ओलों से पीड़ित किसानों को सरकारी सहायता क्या दी गई है और कहां-कहां टेस्ट वर्क व सरकारी गल्ले की दूकानें खोली गयी हैं ?

श्री चरणसिंह---सरकार ने इस संबंध में जो सहायता दी है उसका विवरण इस प्रकार है:

नाम तहसील		अहेतुक सहायता	सस्ते गल्ले की दूकानें जहां खोली गई हैं
		रु०	
१---गोंडा	..	५००	---
२---तरबगंज	..	३,०००	वजीरगंज
३---उतरौला	..	३,५००	१---उतरौला २---मनकापुर ३---मसकिनवा

इसके अतिरिक्त तहसील तरबगंज तथा उतरौला में कायदे के अनुसार मालगुजारी में छूट या मुल्तवी भी मंजूर की जायेगी ।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने गांवों में ओले पड़े और कितने का नुकसान हुआ ?

श्री चरणसिंह—३८३ गांवों में ओले पड़े और ९७,६३८ एकड़ रकबे में चार आने से लेकर १६ आने तक नुकसान हुआ । अब कितनी रकम बैठती है इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है और इस वक्त दी भी नहीं जा सकती ।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन गांवों में ओले पड़े हैं वहां पहले खरीफ की भी फसल बरबाद हो चुकी है, और अगर जबाब हां में है, तो क्या सरकार वहां जो सस्ते गल्ले की दूकानें उन किसानों के लिए खोली गई हैं जिनके पास कि खाने पीने का सामान खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं है, उनके लिए टेस्ट वर्क खोलने जा रही है ?

श्री चरणसिंह—हो सकता है कि इनमें से बहुत से गांव ऐसे हों जहां पहले बाढ़ आयी हो । यह इत्तिला हमने मंगायी नहीं थी और अगर टेस्ट वर्क खोलने की जरूरत हुई तो जरूर टेस्ट वर्क खोले जायेंगे ।

श्री धर्मपालसिंह (जिला गोंडा)—क्या माननीय माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले की किस तहसील में सबसे अधिक क्षति हुई है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं । यह इत्तला मेरे पास नहीं है ।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो लगान की छूट ऐलान की जायगी वह किस माह तक ऐलान हो जायगी ?

श्री चरणसिंह—मालगुजारी का स्थगन तो फौरन कर दिया जाता है, लेकिन प्रोपोजल्स के फाइनलाइज करने में महीनों लगते हैं ।

श्री गेंदासिंह—सरकार ने टेस्ट वर्क को बन्द कर देने का सारे प्रदेश में कब आदेश दिया है और अगर नहीं दिया है तो क्यों बन्द कर दिये गये ?

श्री चरणसिंह—कोई सारे सूबे में टेस्ट वर्क्स चल भी नहीं रहे हैं और कोई आम आर्डर भी नहीं दिया गया है । जितने बन्द हुए हैं वे आम तौर पर इसलिए बन्द हुए हैं कि जब रबी की फसल आती है तो बन्द कर दिये जाते हैं । समझा यह जाता है कि लोगों के पास रोजगार भी है और गल्ला भी ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि जिन टेस्ट वर्क्स पर ४–५ हजार आदमी काम करते थे, उनको क्यों बन्द करा दिया गया ?

श्री चरणसिंह—टेस्ट वर्क्स के लिये कोई १२ महीने चलने की बात नहीं है । अगर टेस्ट वर्क्स बहुत ज्यादा चलने दिये जायंगे तो बजाय इसके कि २०० मील पर जाकर मजदूर डेढ़ रुपया मजदूरी कमायें, वह ८ आने रोज पर ही सब्र कर लेता है और बहुत से लोग बाहर इसीलिये नहीं जाते हैं । फिर टेस्ट वर्क्स कोई परमानेन्ट इलाज नहीं है । गरीबी है तो उसको मिटाने के लिये कोई और इलाज ढूढ़ना होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लोग टेस्ट वर्क्स पर काम करते थे, उनके लिये काम की क्या व्यवस्था सरकार ने टेस्ट वर्क्स बन्द होने पर की है ?

श्री चरणसिंह—काम के लिये क्या व्यवस्था की है, इसका यही जवाब हो सकता है कि वे लोग काम खोजेंगे तो काम मिल जायगा और साथ ही लोग अगर यह मश्विरा देना बन्द कर देंगे कि बाहर मत जाओ, यहीं टेस्ट वर्क खुलवा देंगे, तो इससे भी सहायता मिलेगी।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात का पता है कि जिन स्थानों में लोगों के लिये खाने की व्यवस्था टेस्ट वर्क्स खोल कर की गई, अब भी वहां की जनता बिना पैसे के खाने को समुचित रूप में प्राप्त नहीं कर रही है और वह मांग कर रही है कि टेस्ट वर्क्स खोले जायं ?

श्री चरणसिंह—कहां-कहां टेस्ट वर्क्स खोले गये थे, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है। इस के लिये नोटिस की आवश्यकता है और यह कि वहां की जनता मांग कर रही है, तो ठीक है। माननीय राजनारायण जी ऐसा कह रहे हैं तो उसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री गेंदासिंह—देवरिया जिले में साढ़े १२ हजार आदमी टेस्ट वर्क्स पर काम कर रहे थे। उनकी रोजी व भूख से मरने को देखते हुए सरकार ने टेस्ट वर्क्स क्यों बन्द कर दिये ?

श्री चरणसिंह—५ साल से कोई साल ऐसा नहीं जाता है जब देवरिया में भुखमरी की आवाज न उठाई जाती हो और साथ ही जितनी बार आवाज उठाई गई है, वह गलत साबित हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि देवरिया में कोई आदमी भूख से नहीं मरेगा।

श्री गंगा प्रसाद—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सहायता दी गई है वह किस रूप में वितरित होगी ?

श्री चरणसिंह—नकद भी हो सकती है और कलेक्टर चाहे तो दूसरे रूप में भी हो सकती है।

श्री झारखंडेराय—इस बात को देखते हुए कि टेस्ट वर्क्स पर मजदूरी का रेट कुछ कम है, सरकार टेस्ट वर्क्स की मजदूरी के रेट में तरमीम करने का विचार कर रही है ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—टेस्ट वर्क्स पर फुल वेजेज नहीं दी जातीं। इसलिये खोले जाते हैं कि आदमी मरने से बच जाय और जो मजदूरी गवर्नमेंट देती है, गल्ले के भाव को देखते हुए वह मजदूरी एक ही आदमी के लिए नहीं बल्कि दो, दो आदमी की खूराक के लिये काफी है। इसलिये मजदूरी बढ़ाने का सवाल नहीं है।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि देवरिया में ही भुखमरी प्रत्येक साल क्यों आती है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह सवाल तो गोंडा का है।

श्री गेंदासिंह—अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि ५ वर्ष से टेस्ट वर्क्स चल रहे हैं, तो फेमीन कोड के मुताबिक उसे अकाल पीड़ित क्षेत्र क्यों नहीं घोषित किया गया ?

श्री चरणसिंह—मैंने यह नहीं कहा कि ५ साल से लगातार टेस्ट वर्क्स चल रहे हैं। इसलिये सवाल नहीं उठता।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बतलायेगी कि जिन क्षेत्रों में ओले गिरे हैं वहां सरकार सस्ते गल्ले की दूकानें और बढ़ाने जा रही है ?

श्री चरणसिंह—फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। जब माननीय मित्र कमिश्नरी से लौट कर आयेंगे और आवश्यकता हो तो मंत्री जी को लिखें तो अवश्य ऐसा होगा।

श्री गेंदासिंह---इस बात को देखते हुए कि देवरिया में टेस्ट-वर्क्स की इतनी कम मजदूरी है और फिर भी हजारों आदमी काम करने के लिए तैयार मिलते हैं, उनको भूख से मरने से बचाने के लिए क्या गवर्नमेंट का कुछ करने का इरादा है ?

श्री चरणसिंह---मैं तो कम मजदूरी मानता ही नहीं। यह तो आप स्वयं फर्ज करके कह रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि एक आदमी की खूराक के लिए जितना गल्ला चाहिये, टेस्ट वर्क से जितनी मजदूरी मिलती है वह उससे ज्यादा गल्ला खरीद सकता है।

---

३० अप्रैल, १९५७ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३ तथा ६ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का शोधन

श्री उपाध्यक्ष---माननीय स्वास्थ्य मंत्री किसी उत्तर का सुधार करना चाहते हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)---मैं आप की आज्ञा से यह वक्तव्य देता हूं कि दिनांक ३० अप्रैल, १९५७ को विधान सभा में अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ के सम्बन्ध में श्री त्रिलोकीसिंह द्वारा यह अनुपूरक प्रश्न पूछा गया था कि कानपुर मेडिकल कालेज में जो नियुक्तियां की गयी हैं ये काम किस तारीख से करेंगे। उसका उत्तर दिया गया था। "कुछ तो फौरन् करेंगे और कुछ जुलाई में करेंगे"। यह उत्तर सही नहीं था। सही उत्तर इस प्रकार है :--

"सब लोग अभी काम शुरू करेंगे।"

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---इस पर पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहले एक बार माननीय अध्यक्ष ने ऐसी व्यवस्था दी थी कि पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---जिस बात की जानकारी आप हासिल करना चाहें उसके लिये नया नोटिस दे सकते हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जो अभी शुद्धि की गई है मैं चाहता हूं कि इतनी शुद्धि उसमें वे और कर लें। क्योंकि कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इस आदरणीय सदन में माना है कि जिनकी नियुक्ति हुई है उनमें से एक सज्जन अभी विलायत में तशरीफ रखते हैं। उन्होंने कहा है कि सब अभी से काम शुरू कर देंगे तो इतना कर लीजिये कि सिवाय उन सज्जन के बाकी सब अभी से काम शुरू कर देंगे, जिससे फिर शुद्धि की आवश्यकता न रहे।

श्री उपाध्यक्ष---अब दूसरा सुधार माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य करना चाहते हैं।

सहकारिता उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---३० अप्रैल, १९५७ को अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ६ से सम्बद्ध श्री उग्रसेन ने एक अनुपूरक प्रश्न में यह पूछा था कि गोरखपुर की बांसगांव तहसील में कितनी फेयर प्राइस शाप्स हैं। उसके उत्तर में बताया गया था कि सारे गोरखपुर में २५ दूकानें चल रही हैं। यह उत्तर सही नहीं था। इसका सही उत्तर इस प्रकार है :--

"गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में १२९ दूकानें खुली हुई हैं।"

पूर्वी जिलों की रबी की फसल के विषय में सरकार द्वारा दिये गये उत्तर पर आपत्ति

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---मैं आप की इजाजत से एक निवेदन कर देना चाहता हूं। जो उत्तर अभी सरकार की तरफ़ से पूर्वी जिलों की रबी की फसल के सिलसिले में दिया गया है उससे मैं समझता हूं कि सरकार आज भी अन्धकार में है और यह उसने वहां की जनता की तकलीफों को सुनने में और उसकी जांच करने में बड़ी कोताही की है।

श्री उपाध्यक्ष—यह वक्तव्य देने का समय नहीं है। आप पूछना क्या चाहते हैं ?

*श्री गेंदासिंह—मैं आप से निवेदन करता हूं कि व्याख्यान नहीं दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि हमारे व्याख्यान न देने की वजह से या सरकार के न सुनने की वजह से अगर दर्जन दो दर्जन आदमियों की जान भूख से चली जाय तो उसकी जिम्मेदारी हमारी, आपकी और सरकार की, तीनों की होगी। आज यह सदन उठ रहा है और जुलाई के पहले बैठने का नहीं। मुझे इस बात का खतरा है कि जैसा सरकार ने इंकार किया है कि वह जांच नहीं करायेगी तो इसका नतीजा यह होगा कि जिस संकल्प पर आज वह दृढ़ है उसी पर दृढ़ रहेगी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अगर कोई कमेटी नियुक्त न की और इस बात की जांच नहीं करवाई तो सरकार को वहां की सही हालत नहीं मालूम होगी और लोगों की जो दुर्दशा है वह और बिगड़ती जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—इस प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। अगर सरकार उसमें असफल होती है तो खुद भुगतेगी। लेकिन मैं यह नहीं समझा कि चेयर की इसमें क्या जिम्मेदारी है ?

श्री गेंदासिंह—चेयर की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आपने हमें कहने की इजाजत दे दी। अगर आप नहीं देते तो मैं अपने मन में यह जरूर कहता कि आप की भी उतनी जिम्मेदारी जरूर है।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—मैं यह अर्ज करता हूं कि आप के आदेश के बावजूद भी कि सवाल पूछा जा सकता है बयान नहीं दिया जा सकता, वे बयान देने पर अड़े रहे और किसी कारण से आपने खामोशी अख्तियार रखी। अब उस खामोशी की जिम्मेदारी आप भुगतें।

पूर्वी जिलों के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में लगान, तकावी आदि की वसूली से सम्बद्ध कार्य—स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास कई कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक कामरोको प्रस्ताव माननीय मदन पांडेय जी का है जिसमें उन्होंने लिखा है :—

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूर्वी जिलों तथा विशेष कर गोरखपुर जिले की महाराजगंज, फरेंदा तहसीलों तथा देवरिया, आजमगढ़ और बलिया में विषम खाद्य स्थिति पर सरकार की उपेक्षा नीति के कारण माननीय खाद्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों के बावजूद भी लगान, तकावी, पंचायत टैक्स तथा अन्य बकायों की सख्ती से वसूल किये जाने के फलस्वरूप इन जिलों में जो भीषण अकाल की स्थिति पैदा हो गई है उस पर विचार करने के लिये यह सदन कार्यस्थगन करे।"

इसकी मैं इसलिये इजाजत नहीं देता क्योंकि अभी हाल में इस पर काफी विस्तारपूर्वक विवाद हो चुका है।

खाद्यान्न मिलावट विरोध कानून के अन्तर्गत कार्यवाहियों के फलस्वरुप विषम परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव माननीय मोतीलाल अवस्थी जी का है। वह इस प्रकार है :—

"इस सप्ताह खाद्यान्न मिलावट विरोध कानून के अन्तर्गत अधिकारियों द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाहियों के फलस्वरूप कानपुर, उन्नाव तथा इटावा जिले के दूध-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विक्रेताओं में क्षोभ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दूध विक्रेताओं की हड़ताल होने की संभावना से उन जिलों के दूध प्रयोग करने वाली जनता में भय व घबड़ाहट पैदा हो गई है।

अतः जनहित की दृष्टि से इस आवश्यक तथा तत्कालीन विषय पर विचार करने के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

प्रादेशिक सरकार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। कामरोको प्रस्तावों के लिए यह बहुत ही निश्चित बात समझनी चाहिये कि जिन विषयों का प्रान्तीय सरकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, उन्हीं के सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव किया जा सकता है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

गोला शुगर फैक्ट्री द्वारा १ करोड़ मन गन्ना न खरीदे जाने के कारण विषम परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—तीसरा प्रस्ताव वंशीधर शुक्ल जी का इस प्रकार है:—

"इस सप्ताह में ही जिला खीरी-लखीमपुर के हिन्दुस्तान शुगर फैक्ट्री गोवा ने पूर्व निश्चय के विरुद्ध यह घोषणा कर के जिला के १ करोड़ मन खड़े गन्ने को अब नहीं खरीद सकेंगे, गन्ना उत्पादकों में एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तथा इस घोषणानुसार १५ मई से गन्ने के मूल्य में कमी भी की जाने वाली है।

अतः उपरोक्त विषम परिस्थिति को देखते हुए एवं जनहित तथा तत्कालीन विषय होने के कारण यह सदन अपना कार्य स्थगित करना उचित समझता है।"

इस सम्बन्ध में अभी कल ही यहां आध घंटे का वादविवाद हुआ और उससे पहले भी वादविवाद हो चुका है। यह नया प्रश्न नहीं है इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

ब्रिटिश शासकों की मूर्तियों को निरस्त करने तथा अंग्रेजी भाषा को हटाने की सोशलिस्ट पार्टी की मांग के सरकार द्वारा अस्वीकार किये जाने के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव राजनारायण जी का है जो इस प्रकार है :—

"उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द जी ने कल, ता० ८ मई सन् ५७ को डाक्टर राममनोहर लोहिया के उस तार का जिसमें उन्होंने केवल सवा ६ एकड़ से कम खेती पर से मालगुजारी खत्म करने को सरकार द्वारा तैयार होने पर सोशलिस्ट पार्टी को सत्याग्रह बन्द करने की सलाह देने तथा १० मई को ब्रिटिश शासकों की मूर्तियों और अंग्रेजी भाषा हटाने के लिये तैयार होने पर सत्याग्रह मुल्तवी करने की सलाह देने की बात कही थी, उनका नकारात्मक उत्तर दे कर तमाम प्रदेश में १० मई से सिविल नाफरमानी करने और व्यापकरूप से ब्रिटिश शासकों की मूर्तियां तथा अंग्रेजी साइन-बोर्डों को सार्वजनिक स्थानों से जनता द्वारा स्वतः हटा देने को जिस ढंग से बाध्य किया है उसने प्रदश की आजादी पसन्द जनता के दिल में विक्षोभ को भावना पैदा कर दी है।

[श्री उपाध्यक्ष]

सरकार के उपर्युक्त रवैये से जो विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है उस पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है। जहां तक मेरी जानकारी है कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में, एक तो वह हाल की घटना से सम्बन्धित होना चाहिये, और दूसरे उसे सार्वजनिक महत्व का होना चाहिये। सार्वजनिक महत्व की बात मानते हुए भी मैं राजनारायण जी से जानना चाहूंगा कि इसमें हाल की घटना क्या है ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, आपने स्वतः इस बात को कबूल किया कि यह पब्लिक इंपार्टेंस की बात है। अब प्रश्न केवल आप के सम्मुख विचाराधीन है कि रीसेंट अकरेंस है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष---मैं एक बात कहूंगा कि हाल की घटना के साथ-साथ आप तुरन्त इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी भी बात बतायें।

*श्री राजनारायण---मैं इन दोनों बातों पर निवेदन करूंगा। अकरेंस की परिभाषा क्या है ? मैं समझता हूं कि १८५७ को व्यतीत हुए कल १० मई को १०० वर्ष पूरे हो जायेंगे और १० मई को किस प्रकार से मनाया जाय, देश और प्रदेश की विभिन्न राजनैतिक पार्टियां और विभिन्न जनता के संगठन और आम जनता और सरकार स्वतः इसके लिये चिन्तित है और इसको मनाने के लिये अपने अपने कार्यक्रम रखे हैं। यदि यह पब्लिक इंपार्टेंस की चीज न होती तो इस तरह से प्रदेश का सारा वातावरण इस ओर आज आकर्षित न हुआ होता। पब्लिक इंपार्टेंस की बात को तो आप ने माना।

अब अर्जेंसी क्या है ? अर्जेंसी यह है कि १० मई, १९५७ को स्वतः जिस भावना से ओतप्रोत हो कर उस समय की जनता ने अंग्रेजी राज्य को खत्म करने की चेष्टा की, हमारी भावना भी वही है केवल हमारे साधन भिन्न हो गये हैं। उस समय हिंसात्मक क्रांति थी, हम उस हिंसात्मक क्रान्ति को अहिंसात्मक क्रांति में बदलना चाहते हैं। कल सरकार की ओर से मुख्य मंत्री जी न अन्तिम रूप से अपना जवाब दिया। उनके उत्तर की एक प्रति मैंने आपके पास भेज दी है। डाक्टर राम मनोहर लोहिया का जो तार था उस की प्रति भी मैंने आप के पास भेज दी है। मुख्य मंत्री जी का जो पत्र डाक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम था, वह पत्र मुझे साढ़े तीन बजे प्रातः कानपुर में मिला, क्योंकि वह पत्र उन्होंने प्रान्तीय सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय में भेज दिया था। वह मुझे कानपुर में पढ़ने को मिला और उसे पढ़ कर मुझे ऐसा लगा कि अन्तिम रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश की जनता को बता दिया है कि जिस ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिये १० मई, १८५७ को जनता आगे बढ़ी थी, उन्हीं ब्रिटिश शासकों की मूर्तियों को हटाने के लिये यह सरकार तैयार नहीं है। तो यह इतना अर्जेंट है कि यदि सरकार इस पर समुचित कदम नहीं उठाती तो कल प्रदेश की जनता इसके लिये कुछ करेगी। कानपुर की जनता ने कल यह फैसला किया है कि १० मई को जितनी ब्रिटिश शासकों की मूर्तियां होंगी उनको वह स्वयं हटा देगी।

श्री उपाध्यक्ष---इसका हाल की घटना से क्या सम्बन्ध है ?

श्री राजनारायण---माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र लिखना स्वतः एक अकरेंस है, स्वतः एक घटना है। और दूसरी बात मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस हमारे सामने है और इस सदन में भी ऐसी परम्परा रही है कि सरकार की नीति पर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस बात को स्पष्ट स्वीकार किया है कि सरकार की नीति सम्बन्धी विषय पर भी, सदन में कामरोको प्रस्ताव आ सकते हैं। इस सम्बन्ध में मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस को देखा जाय। आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष---पढ़िये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजनारायण—पृष्ठ ३५१ पर लिखा है कि—

"It is a question for the decision of the Speaker whether a matter, to discuss which it is proposed to move the adjournment of the House under S.O. No. 9, complies with the provisions of that standing order. In accepting or rejecting such a motion the Speaker is, as in the case of a motion alleging breach of privilege (see page 364), doing no more than deciding whether there is in his view a *prima facie* case of urgency, leaving the final decision to the House.

The general meaning of the standing order may be best set out in the words of Mr. Speaker Peel. "What I think was contemplated was the occurrence of some sudden emergency either in home or foreign affairs. But I do not think it was contemplated.....that a question of very wide scope, which would demand legislation to deal with it in any effective manner, should be the subject of discussion....."

इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई बड़ा व्यापक प्रश्न हो जिस पर लेजिस्लेशन बनाया जा सकता हो तो वह भी डिस्कशन का विषय हो सकता है। मैं समझता हूं ब्रिटिशजनों की मूर्तियों को हटाना और उत्तर प्रदेश से अंग्रेजी भाषा को हटाना यह ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर लेजिस्लेशन भी बनाया जा सकता है। यह प्रश्न सरकार की नीति के सम्बन्ध में है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप कृपया बैठ जायं।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं ठीक समझ नहीं पाता कि मैं किस बात के सम्बन्ध में कहूं। अगर रीसेन्ट अकरेन्स की परिभाषा वही है जो माननीय राजनारायण जी ने की तो जरूर डाक्टर लोहिया ने एक तार मेरे पास भेजा। मैंने उसका एक जवाब दिया। उसके बाद मैंने भोजन भी किया सांस लिया और जागा। सब से बड़ी रीसेन्ट अकरेन्स की यही बात हो सकती है। लेकिन जहां तक इस मामले की बात है इस मामले को हम यहां पर नहीं ले सकते।

जहां तक हिन्दी की बात लायी गयी है उस सम्बन्ध में हमारे यहां एक कांस्टीट्यूशन है जो हमारे भारतवर्ष में लागू है। उस कांस्टीट्यूशन के मुताबिक इस वक्त अंग्रेजी भाषा को कुछ स्थान मिला हुआ है। वह संविधान सारे देश में लागू है और उत्तर प्रदेश में भी लागू है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे भी तो तत्काल किसी तरह से अंग्रेजी का पूर्णरूप से बहिष्कार नहीं कर सकती जब तक कि कांस्टीट्यूशन में जो स्थान उसको मिला हुआ है उस में परिवर्तन नहीं कर दिया जाता। इसलिये इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार स्वतंत्र नहीं है।

इसी प्रकार से मूर्तियों की बाबत भी आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों की मूर्तियां उत्तर प्रदेश में हैं, दिल्ली में हैं और केन्द्रीय सरकार का जहां जहां पर अधिकार है वहां पर सब जगह है..

श्री उपाध्यक्ष—आप हाल की घटना के बारे में ही बतलायें। विषय के गुण, दोष पर जाने की जरूरत नहीं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक अर्जेन्सी की बात है वह लोग १० तारीख को उपद्रव करने वाले हैं तो यह आर्जेन्सी की बात नहीं हो सकती है और जो चीज हो चुकी हो वह तो रीसेन्ट अकरेन्स की हो सकती थी लेकिन जो चीज होने वाली है उसको रीसेन्ट अकरेंस की नहीं कहा जा सकता।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—मेरा यह वैधानिक प्रश्न है कि जहां तक माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न उठाया कि अकरेंस रीसेंट का होना चाहिये तो .....

श्री उपाध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आपको इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान एक व्यवस्था की तरफ, जो लोक सभा में श्री कामठ द्वारा पूछे गये एक कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिसमें श्री लायक अली की फरारी के बारे में सदन का कार्य रोकने की कोशिश की गई थी, की तरफ दिलाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :—

"The test of urgency visualised in respect of adjournment motions is best expressed in the old dictum of Mr. Speaker Peel in the House of Commons. He said "What I think was contemplated was the occurrence of some sudden emergency, either in home or foreign affairs. The crucial test always is as to whether the question proposed to be raised, has arisen suddenly and created an emergent situation of such a character that there is a *prima facie* case of urgency and the House must therefore leave aside all other business and take up the consideration of the urgent matter, at the appointed hour. The urgency must be of such a character that the matter really brooks no delay and should be discussed on the same day that notice has been given. We have, therefore, to see as to whether the escape of Mir Laik Ali has created such an emergent situation. Whatever its importance and whatever its further implications, the question in considering the admissibility of an adjournment motion is whether an emergent situation of such a character is created that the House must leave aside all business on the Order Paper. A desire or even a necessity of discussion can be easily appreciated, but the point is whether what discussion must have precedence over the other business of the House. That would be one of the tests for judging the admissibility of the motion".

अतः इस सम्बन्ध में मेरी यह राय है कि जो प्रश्न माननीय राजनारायण जी ने उठाया है उसमें तात्कालिक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। इसके बारे में सोशलिस्ट पार्टी की ओर से पहले १२ मांगें पेश की गयीं और उनके ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से प्रेस कांफ्रेंस हुई तथा उसके जवाब में माननीय राजनारायण जी ने प्रेस कान्फ्रेंस द्वारा उसका उत्तर दिया। ऐसी दशा में अचानक कोई खास परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई। जहां तक हाल की घटना का प्रश्न है, माननीय राजनारायण जी ने कहा कि यह चिट्ठी जो डाक्टर राममनोहर लोहिया जी ने लिखी है यह घटना है। मैं मानता हूं कि किसी चीज का लिखना घटना हो सकता है लेकिन यह घटना क्रम जारी है। जहां तक मेरी जानकारी है सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से पहले १२ मांगें रखी गयी थीं और उसके बाद यह सुझाव पेश हुआ कि ४ मांगें मान ली जावें और फिर यह कि २ ही मांगें मान ली जावें, एक तो हिन्दी भाषा सम्बन्धी और दूसरी अंग्रेजों की मूर्तियों के हटाने की, तो सत्याग्रह स्थगित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में डाक्टर राममनोहर लोहिया ने बयान दिया है कि सत्याग्रह १० मई से होनेवाला है। हो सकता है कि इस बीच में सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव हो जाय कि यदि माननीय मुख्य मंत्री जी असमर्थ हैं तो यदि वे दो चार महीने में मूर्तियां हटाने के लिये तैयार हों तो सोशलिस्ट पार्टी सत्याग्रह स्थगित कर सकती है। माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से जो उत्तर दिया गया है वह अन्तिम नहीं है। हो सकता है कि उनकी ओर से कोई इस प्रकार का प्रस्ताव आ जावे कि अगर डाक्टर राममनोहर लोहिया एक वर्ष समय दें तो कम से कम मूर्तियां हटाने की बात मानी जा सकती है पत्र लिखने को घटना मानने पर भी अभी अन्तिम रूप से घटना घटी नहीं है। हो सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी कल तक कोई ऐसा फैसला करले या मुख्य मंत्री जी कोई ऐसी बात कर दें जिससे सत्याग्रह स्थगित हो जाय। नीति के सम्बन्ध में कोई तात्कालिक परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। इसलिये भविष्य में होने वाली किसी बात के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की इजाजत देने में मैं असमर्थ हूं।

प्रदेश के प्रायः सभी गांवों में बकाया पंचायत टैक्स की वसूल-याबी से उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--अन्त में एक कामरोको प्रस्ताव श्री जगन्नाथ प्रसाद जी का है जो इस प्रकार है कि "मैं आज की विधान सभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं ।

यह कि सदन का कार्य एक आवश्यक सार्वजनिक हित के निश्चित प्रश्न अर्थात् सारे प्रदेश के लगभग सभी गांवों में कई वर्षों के बकाया पंचायत टैक्स की वसूलयाबी से उत्पन्न असन्तोष पर विचार करने के लिये स्थगित किया जाय ।"

इस प्रस्ताव की मैं इजाजत नहीं दे सकता । पंचायत टैक्स लोकल अथारिटीज के वसूल करने का काम है । वहां ऐसी व्यवस्थायें हो सकती हैं । मसलन् गांव पंचायतों द्वारा सार्वजनिक रूप से एक प्रस्ताव पास हो जाय कि वे टैक्स देने में असमर्थ हैं तो पंचायत टैक्स माफ किया जा सकता है । इसका प्रादेशिक सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये मैं विवश हूं और इसकी इजाजत नहीं दे सकता ।

कानपुर में इंडियन शुगर टेक्नोलाजी के लिये भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री का वक्तव्य

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाबवाला, हरकोर्ट बटलर टैक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर, में जहां और विषय पढ़ाये जाते हैं वहां शुगर टेक्नोलाजी भी पढ़ाई जाती है । यह इंस्टीट्यूट गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का है । सन् ३६ में भारत सरकार ने यह तय किया कि शुगर टेक्नोलोजी के लिये एक इंस्टीट्यूट अलहदा खोला जाय । चुनांचे यह इंस्टीट्यूट, हरकोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट की इमारत के एक हिस्से में कायम किया गया था । अब चूंकि केन्द्रीय सरकार शुगर टेकनोलोजी के काम को बढ़ाना चाहती है जिसके लिये यह इमारत तंग हो गयी है । भारत सरकार यह भी चाहती है कि इस इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च सेक्शन भी खोला जाय जिसके पास एक माडल शुगर फैक्टरी हो । अब प्रश्न यह हुआ कि यह इंस्टीट्यूट कानपुर में ही हो या किसी दूसरी जगह । आखिर केन्द्रीय सरकार ने यही निश्चय किया कि यह कानपुर में ही रहे ताकि हरकोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट और इसके दरमियान सम्बन्ध कायम रहे । लिहाजा राज्य सरकार ने भी यही चाहा कि यह इंस्टीट्यूट कानपुर में ही रहे । इसलिये उसके वास्ते जमीन की आवश्यकता हुई ताकि इस इंस्टीट्यूट के लिये भारत सरकार नयी इमारत बनवा सके, तालिबइल्मों के लिये होस्टल बन सके, स्टाफ क्वार्टर्स और माडल फैक्ट्री की इमारत बन सके । इसमें ३० लाख रुपया खर्च होने वाला है और इसके लिये ५२४ एकड़ जमीन की जरूरत होगी । मुख्तलिफ जगहों को देखने के बाद यह तय किया गया है कि कल्याणपुर के करीब अकबरपुर और नागामऊ गांवों की जमीन ली जाय । इस जमीन को प्राप्त करने की कार्यवाही पूरी हो चुकी है । आबादी की, रास्ते की, कब्रिस्तान की, दूसरी इमारतों की, मजहबी यादगारों और खलिहानों की जमीनों को छोड़ दिया गया । इस जमीन में १०० एकड़ एक भट्ठे की, २४ एकड़ परती है और ४०० एकड़ में खेती होती है ।

योजना की अहमियत को सामने रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने इस जमीन को लेने का फैसला किया और प्रदेशीय सरकार ने भी इसको इसीलिये माना कि शुगर टेक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में ही रहे । जो जमीन प्राप्त कर ली गयी है उसके आधे मील के अन्दर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

कोई बंजर और खेती के काबिल जमीन मौजूद नहीं है। जिनकी जमीन ली जा रही है उनको केवल मुआविजा ही नहीं दिया जायगा बल्कि यह बात विचारी गयी है कि माडल शुगर फैक्ट्री और इंस्टीट्यूट की दूसरी जगहों के काम पर भी उनको लगाया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो स्टेटमेन्ट दिया, उस स्टेटमेंट से कुछ गलतफहमी भी पैदा होती है।

श्री उपाध्यक्ष---जब मैं बोलूं तो माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर लें। अगर आप आगे कोई जानकारी इसके बारे में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समय दिया जा सकता है लेकिन आपने वादविवाद शुरू कर दिया।

श्री मोती लाल अवस्थी---पहला प्रश्न तो मेरा यह है कि अकबरपुर और नागामऊ के काश्तकारों की ७५ फीसदी जमीन पूर्व योजनाओं में ली जा चुकी है तो क्या अब भी इतनी जमीन उनके पास शेष है जो शुगर टेक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट के लिये ली जा सकती है?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जब दूसरी जमीनें उन्हीं जमीनों के समकक्ष और ज्यादा अच्छी मौजूद हैं उस वक्त एक ही गांव से जमीन मांगते जाना और लैण्ड कंपेंसेशन के आब्जेक्शंस को टाइम पर अधिकारियों द्वारा नहीं सुना गया है तो क्या सरकार इन बातों पर दुबारा विचार करने को तैयार है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उपाध्यक्ष महोदय, इसके जवाब में कुछ कहने के बजाय मैं आपके जरिये से मेम्बर साहब से यह अर्ज करूंगा कि वे जरा मौके पर तकलीफ करें और वहां एक एक बात मुझे बतलायें और दिखायें, उसके बाद देखा जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कम्पेनसेशन का जो रेट निर्धारित हुआ है वह, इस समय जमीनें वहां जिस भाव से बक रही है, उस भाव के बराबर होगा या इसके कम्पेनसेशन का क्या आधार रखा गया है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---कम्पेनसेशन का आधार जो है वह लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट के अन्दर दिया गया है, जिसकी जमीन खरीदी जायगी उसको मार्केट प्राइस दी जायगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से मैं एक सूचना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---यदि आप चाहें तो माननीय मंत्री जी से उनके कमरे में जाकर मिल सकते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---आप जब जी चाहे तब आकर मेरे कमरे में मिल सकते हैं।

बिक्री-कर विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने के हेतु समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष---(वित्त मंत्री से) शायद आप कोई प्रस्ताव सेल्स टैक्स संशोधन विधेयक की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में रखना चाहते हैं?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जी हां।

जनाब वाला, १८ अप्रैल, सन् १९५७ को विधान सभा ने अपनी बैठक में उत्तर प्रदेश बिक्री-कर विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति को रेफर किया था और आदेश दिया था कि वह अपनी रिपोर्ट ७ मई तक सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे। प्रवर समिति अभी तक अपना कार्य समाप्त नहीं कर सकी है, इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उक्त रिपोर्ट को उपस्थित करने की अवधि ३१ अगस्त सन् १९५७ तक बढ़ा दे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, १८ अप्रैल को यह प्रस्ताव प्रवर समिति में जाने का पास हुआ और जहां तक मेरी जानकारी है बैठक ७ मई को हुई। तो यदि माननीय मंत्री जी को इसकी अवधि बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी थी तो यह प्रस्ताव यहां ७ मई को ही आना चाहिये था, परन्तु ७ मई को रिपोर्ट न आकर दो दिन बीत जाने के बाद, आज ९ मई को इसके लिये प्रस्ताव लाना अवैध होगा।

मैं समझता हूं कि वह ओरिजिनल प्रस्ताव जिसको सदन ने पास किया है, उस प्रस्ताव को न मान कर सरकार ने इस सदन का अपमान किया है और इससे प्रिविलेज का भी सवाल उठता है।

श्री उपाध्यक्ष—किसी प्रस्ताव के देर में लाये जाने से विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे उठता है?

श्री राजनारायण—उसका कारण यह है कि सदन में एक प्रस्ताव पास हुआ और उसने एक कमेटी बना दी और यह आदेश दिया कि उसकी रिपोर्ट ७ मई तक आनी है। इसके मुताबिक काम न करके सरकार ने सदन के प्रस्ताव की अवहेलना की है। तो सदन के किसी भी प्रस्ताव की अवहेलना करना "कंटेम्पट आफ दि हाउस" होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार के मंत्री ने या जिन्होंने सदन की इच्छा और सदन के पास किये हुए प्रस्ताव की अवहेलना की है उनके ऊपर ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन होना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस रिज्योल्यूशन को पेश करने की इजाजत न दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—दो प्रश्न श्री राजनारायण जी ने उठाये हैं। एक तो यह कि यह देर में आया है और दूसरा विशेषाधिकार का पहले भी सदन के सम्मुख इस तरह के प्रस्ताव आये हैं और काम होता रहा है। माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव पर सदन कोई निर्णय नहीं लेना चाहता तो वह इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकता है। देर में आने से यह प्रस्ताव लिया ही नहीं जा सकता, यह आपत्ति ठीक नहीं है। कहावत है "देर आयद दुरुस्त आयद" देर से ही सही, अगर कोई गलती दुरुस्त हो जाय तो वह भी ठीक ही है और इसलिये इसकी अवधि बढ़ा देना उचित ही होगा। दूसरे प्रश्न विशेषाधिकार के बारे में उन्होंने नोटिस दे ही दिया है। जब वह प्रश्न सामने आयेगा तो मैं देखूंगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि नियमावली के किस नियम के मुताबिक माननीय मंत्री जी यह प्रस्ताव लाये हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जहां तक मुझे मालूम है वह यह कि यह कहीं और से आता है, मैं तो सिर्फ पेश कर देता हूं। इस वक्त मेरा काम है पेश कर देना।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि नियमावली के किस नियम के मुताबिक माननीय वित्त मंत्री जी यहां इस प्रस्ताव को लाये हैं। कृपया वे उस नियम को पढ़ कर सुना दें। और किस तरह से उन्होंने यह भाषण कर दिया कि वह तो केवल इस प्रस्ताव के पढ़ने वाले हैं, वह आता तो कहीं और से है। मैं समझता हूं कि इस तरह से उन्होंने सदन के समय को नष्ट किया है।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने अभी बताया था कि सेलेक्ट कमेटी हाउस की कमेटी है और उस सेलेक्ट कमेटी ने इसे फिर हाउस के सामने रखा है, मंत्री जी उस समिति के चेयरमैन की हैसियत से इसे रख रहे हैं। नियमों में इस विषय में कोई व्यवस्था नहीं है। यदि हाउस इसको अनियमित समझेगा तो रिजेक्ट कर देगा। मैं इसे अनियमित नहीं कह सकता और मैं इसे सदन पर छोड़ देता हूं, वह जैसा चाहेगा करेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता जी, अभी तक अधिष्ठाता ही मुंह से निकल जाता है.....

श्री उपाध्यक्ष—यह तो भावना का प्रश्न है, शब्दों से कोई मतलब नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मुझे इस प्रश्न के सम्बन्ध में अपनी राय कायम करने से पहले माननीय वित्त मंत्री जी से कुछ जानकारी हासिल करनी है और मैं समझता हूं कि सदन को भी अपनी राय कायम करने के लिये उन बातों की जानकारी की जरूरत होगी। पहली बात तो यह है कि यह प्रवर समिति अपनी कार्यवाही ७ मई तक क्यों पूरी नहीं कर सकी और क्या कारण हैं जिनकी वजह से वह पूरी नहीं हो सकी? उसकी पहली मीटिंग कब बुलाई गई और उसके बाद कितनी मीटिंग किन-किन तारीखों को बुलाई गयीं? दूसरी बात यह है कि जब हम प्रवर समिति का यहां प्रस्ताव लाते हैं तो सरकारी पक्ष हमेशा कहता है कि अगर इस पर २ दिन की भी देर हो गई तो गोमती में आग लग जायगी, आसमान फट पड़ेगा, जनता का अनहित होगा लेकिन जब सदन से ७ मई तक का प्रस्ताव पास हो गया तो अब ३१ अगस्त तक कोई गोमती में आग नहीं लगेगी और न आसमान फटेगा, वह वहीं रहेगा। यह रुख इस सरकार का है कि अपनी सुविधा के लिये तो हर बात हो जाय लेकिन हमारी ओर से जब प्रार्थना की जाती है तो हमेशा कहा जाता है कि यह अनावश्यक है और अगर विधेयक जल्दी पास न हुआ तो धरती रसातल को चली जायगी और आसमान में आग लग जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अबतक सेलेक्ट कमेटी की कब और कितनी बैठकें हुई।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब वाला, अब जब से सदन की बैठक हो रही है और इससे पहले जो यहां बैठक हुई एक मीटिंग उस वक्त हुई, उसकी ठीक तारीख तो मुझे याद नहीं है। उसके बाद इधर ४ तारीख को एक मीटिंग हुई। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उसने वक्त से अपना काम क्यों खत्म नहीं किया उसकी वजह यह है कि सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों के सामने अभी एक प्वाइन्ट ऐसा है जिसको सोचने के लिये कुछ वक्त की जरूरत है इसलिये इसको मुल्तवी कराया गया और अब भी उसी के लिये मुल्तवी किया गया और अगर अब इतना बड़ा वक्फा सदन के फिर बैठने तक होने वाला न होता तो रिपोर्ट दो चार दिन में आ ही जाती लेकिन, अब चूंकि इसके बाद सेशन जुलाई में होगा इसलिये ३१ अगस्त तक का वक्त मांगा गया है वर्ना इसकी जरूरत नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं।

१८ अप्रैल सन् १९५७ को विधान सभा ने अपनी बैठक में उत्तर प्रदेश बिक्री-कर संशोधन विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया था और आदेश दिया था कि वह अपनी रिपोर्ट ७ मई तक सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। प्रवर समिति अभी तक अपना कार्य समाप्त नहीं कर सकी है। अतः प्रश्न यह है कि यह सदन उक्त रिपोर्ट को उपस्थित करने की अवधि ३१ अगस्त, १९५७ तक बढ़ाता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम १७९ (२) व (३) के पालन के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष द्वारा निदेश

श्री उपाध्यक्ष—इस सदन की कार्यवाही को सुव्यवस्थिति रूप से चलाने के लिये और इसकी शोभा कायम रखने के लिये मैं माननीय सदस्यों का ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १७९ के उपनियम (२) और (३) की ओर दिलाना चाहता हूं। वह क्रमशः इस प्रकार है कि "सदन में वक्ता सदस्य तथा अध्यक्ष पीठ के बीच न आयेगा"। और "सदन के बीच से लांघ कर नहीं जायगा"। आमतौर से माननीय सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि जब कोई सदस्य भाषण दे रहे हों तो उनके और इस आसन के बीच में कोई माननीय सदस्य नहीं जायेंगे। मैंने यह देखा है कि अक्सर इस नियम का उल्लंघन होता रहता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे यह कि सदन के बीच से लांघ कर नहीं जायेंगे । इस नियम का भी उल्लंघन प्रायः होता रहता है । मैं मानता हूं कि इन नियमों को फिर से लागू करने में काफी मेम्बरों को कुछ असुविधा होगी, लेकिन मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर कोई विरोधी दल के सदस्य ट्रेजरी बेंचेंज की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके सामने दो ही रास्ते हैं। या तो वे सदन के आसनों के पीछे से जायं या बाहर जा कर दूसरे दरवाजे से आवें ।

जहां तक भाषणकर्ता और चेयर के बीच का सवाल है उसके बीच में किसी को नहीं जाना चाहिये ।

मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्यगण इस सदन की शोभा और कार्यवाही को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिये इस नियम का पालन करेंगे ।

श्री राजनारायण—इसी तरह से सरकारी सदस्यों का भी कर्त्तव्य है ।

श्री उपाध्यक्ष—आप तो हमेशा भेद की बात किया करते हैं।

श्री राजनारायण—क्योंकि माननीय मंगलाप्रसाद जी सीधे चले आते हैं।

उपाध्यक्ष—मैंने किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया है । सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है ।

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रांत भूमि) धे वियक, १९५७

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५६८–५७० पर)

*उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७ (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष—अब माननीय स्वशासन मंत्री द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७ पर विवाद जारी रहेगा । माननीय चन्द्रजीत यादव अपना भाषण जारी रखें ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने प्रस्तुत नगर निगम विधेयक पर बोलते हुए यह कहा था कि इस विधेयक में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे ब्युरोक्रैटिक मशीनरी अधिक बलवती होती है और लोकतंत्रीय व्यवस्था निर्बल होती है या उसको उन्मुख या विकसित होने का पूर्ण अवसर नहीं मिलता है । इसके लिये मैं धारा ६ जो इस विधेयक की है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । धारा ६ में यह व्यवस्था की गयी है कि निगम का जो संगठन होगा उसमें दो प्रकार के सदस्य होंगे। एक तो कौंसिलर होंगे जो सीधे अपने निर्वाचन मंडलों से चुन कर आयेंगे । दूसरे एल्डरमैन होंगे, जिनकी संख्या कौन्सिलरों की कुल संख्या की तिहाई होगी और वह कौंसिलरों द्वारा चुने जायेंगे । लेकिन एल्डरमैन में १/५ ऐसे सदस्य होंगे जो सरकार द्वारा नाम निदशित होंगे। मेरी समझ

---

*छापा नहीं गया ।

†८ मई, १९५७ की कार्यवाही से ।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

में जो यह नाम निर्देशन की व्यवस्था की गयी है वह बिलकुल गलत है। इसमें यह दिया हुआ है कि ऐसे लोगों को जिनको प्रशासन का अनुभव होगा या सामाजिक सेवाओं की जानकारी होगी, सरकार को नाम निर्देशित करने का अधिकार होगा। मैं समझता हूं कि यह अधिकार सरकार को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार के सदस्यों के नाम निर्देशन की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार इसको आवश्यक समझती है तो इसमें एक प्रकार का बन्धन होना चाहिये कि "ऐसे नाम निर्देशित सदस्य जिनकी संख्या दो से अधिक न होगी"। यह नहीं है, बल्कि यह है कि १/५ नाम निर्देशित होंगे।

दूसरी बात जो की जा रही है वह यह है कि यों तो कौंसिलरों की अवधि चार वर्ष की रहेगी, लेकिन यह व्यवस्था की गयी है कि प्रतिवर्ष १/४ कौंसिलर रिटायर होंगे। मैं समझता हूं कि जो प्रत्यक्ष चुने हुये सदस्य आते हैं उनके लिये कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि प्रति वर्ष १/४ रिटायर होते जायं। जैसे हमारे विधान सभा के सदस्य होते हैं, उनके काम करने की अवधि पांच वर्ष तक निश्चित है, चुने हुये सदस्य पांच वर्ष तक काम करेंगे। इसी प्रकार से कौंसिलर जो प्रत्यक्ष चुनाव से आता है उसकी एक निश्चित अवधि होनी चाहिये, जैसी दूसरे निगमों में व्यवस्था है। उदाहरणार्थ नागपुर में वह व्यवस्था ५ वर्ष के लिये है और पटना में ४ वर्ष। हमारे यहां भी यह व्यवस्था होनी चाहिये कि वह ४ वर्ष के लिये चुन कर आयेंगे और पूरे काल तक काम करेंगे।

तीसरी बात यह है कि एल्डरमैनों के चुनाव के लिये यह निश्चय किया गया है कि उनकी अवस्था कम से कम ३५ वर्ष की होगी और उनकी शिक्षा इंटरमीडियेट या उसके समकक्ष होगी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का बंधन उनके ऊपर नहीं होना चाहिये।

अब जो मेयर के चुनाव के विषय में कहा गया है कि मेयर के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह कौंसिलरों में से हो, बाहरी व्यक्ति भी मेयर पद के लिये खड़ा हो सकता है, चुना जा सकता है, मैं समझता हूं यह व्यवस्था बिल्कुल अलोकतंत्रीय है। मेयर कौंसिलरों में से ही चुना जाना चाहिये। इसलिये कि यदि वह कौंसिलरों में से चुना हुआ होगा तो कम से कम अपने नगर के किसी एक क्षेत्र की जनता का विश्वास प्राप्त करके आयेगा, और सीधे निर्वाचन से आयेगा।

दूसरा प्रतिबन्ध जो मेयर के ऊपर लगाया गया है वह यह कि उसकी भी वही क्वालिफिकेशंस होंगी जो एल्डरमैन की होंगी, यानी मेयर की अवस्था कम से कम ३५ वर्ष की होगी और उसकी शिक्षा इंटरमीडियेट या उसके समकक्ष होगी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह प्रतिबन्ध जो लगाया गया है यह कम है, उसकी शिक्षा ग्रेजुएट तक की होनी चाहिये थी। मैं समझता हूं यह अलोकतंत्रीय व्यवस्था है। जब हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री पर, जिनके ऊपर नीति निर्धारण और प्रशासकीय जिम्मेदारियां हैं तथा विशाल अधिकार हैं, जिसे पूरे प्रदेश का संचालन करना होता है, चाहे प्रशासकीय संचालन हो या और किसी प्रकार का हो, उसके ऊपर जब इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है तो हम विश्वास करते हैं कि जो इस पद पर होगा उसके अन्दर यह क्षमता होगी कि कार्य संचालन को वह सुचारु रूप से चला सकेगा, तो हम बड़ी आसानी से निगम के मेयर पर इतना विश्वास कर सकते हैं, वहां के कौन्सिलर्स के ऊपर भी विश्वास कर सकते है कि वह ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो काम ठीक तरह से चला सकेगा इसलिये जो आयु का प्रतिबन्ध और शिक्षा का प्रतिबन्ध लगाया गया है वह ठीक नहीं है।

अब कौंसिलर के रिमूवल के लिये जो व्यवस्था की गई है उसमें सरकार को अधिकार दिया गया है कि धारा ८२ (ख) और (ग) के अन्दर अगर सरकार यह समझती हो कि कोई सदस्य ऐसा है जिस पर घोर दुराचार का कोई आरोप है या अपने कार्य को पूर्ण रूप से करने में असमर्थ है तो सरकार उसे निकाल सकती है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की धारायें बहुत ही अस्पष्ट रूप से इस विधेयक में उल्लिखित हैं, और सरकार को व्यापक अधिकार मिल सकता

है। इसलिये घोर दुराचार क्या होगा, इसकी व्याख्या होनी चाहिये, और कार्य के सम्बन्ध में भी पूर्ण रूप से व्याख्या होनी चाहिये। दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं यदि किसी कौन्सिलर को हटाये जाने का प्रश्न है तो जैसा कि पटना कार्पोरेशन में व्यवस्था है कि यदि किसी कौंसिलर को हटाना है तो उस कार्पोरेशन को हक होगा कि वह विशेष प्रकार से, इसी मकसद के लिये एक मीटिंग बुलाये और यदि दो बटे तीन काउन्सिलर्स इस बात की सिफारिश सरकार से करें कि कोई कौन्सिलर हटा दिया जाना चाहिये तो सरकार उसकी जांच पड़ताल करेगी और उस पर कोई कदम उठायेगी। इसी प्रकार की व्यवस्था हमारे यहां भी होनी चाहिये। यह अधिकार सरकार को पूर्णतः नहीं होना चाहिये कि वह जिस कौंसिलर को चाहे अस्पष्ट प्रकार का आरोप लगाकर हटा सके। आज प्रजातंत्र का यह माना हुआ सिद्धांत है कि जो जनता किसी प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है, उसको यह भी अधिकार होना चाहिये कि उसका चुना हुआ प्रतिनिधि यदि अपने कार्य सम्पादन में असफल रहता है या उसे पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है तो वह उसे वापस बुला ले। रिकाल का राइट जो है वह देना चाहिये।

जब हम रिकाल के राइट की बात करते हैं तो विधान सभाओं में या संसद में यह प्रश्न उठता है कि चूंकि हमारे यहां बहुत बड़े-बड़े क्षेत्र होते हैं, लाखों जनता उसमें भाग लेती है इसलिये ऐसी व्यवस्था सम्भव नहीं है। परन्तु जब हम नगर निगम विधेयक ला रहे हैं जहां एक क्षेत्र में अधिक से अधिक बीस पचीस हजार मतदाता होंगे तो हमें इस प्रकार की व्यवस्था उस प्रजातंत्र के माने हुए उसूल के आदर में करनी चाहिये थी और वहां की जनता को रिकाल का अधिकार देना चाहिये था। वह नहीं दिया गया है। पटना नगर निगम के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि यदि वहां के दो तिहाई रजिस्टर्ड वोटर्स अपने सदस्य को वापस लेना चाहें तो एक वर्ष के बाद इस प्रकार का एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजेंगे और सरकार उस पर विचार करेगी। मैं समझता हूं कि इस नगर निगम विधेयक में भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये।

दूसरी बात जो मुझे इस सम्बन्ध में कहनी है वह यह कि म्युनिसिपल कमिश्नर को बहुत व्यापक अधिकार दिया गया है। म्युनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति का अधिकार सरकार ने सीधे अपने हाथ में ले लिया है। चाहिये यह था कि म्युनिसिपल कमिश्नर जैसे एक दायित्व की जो जगह है उसकी नियुक्ति सरकार यदि करती तो वहां के मेयर की राय और पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से करती, जैसा कि पटना नगर निगम विधेयक में है। हालांकि वहां म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं होता, एक्जीक्यूटिव आफिसर होता है, फिर भी सरकार उनकी नियुक्ति करते समय वहां के मेयर की राय लेती है और पब्लिक सर्विस कमीशन की भी राय लेती है। हमारे यहां भी उस व्यवस्था का प्रबंध होना चाहिये था।

म्युनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति पहली बार में तीन वर्ष के लिये होगी लेकिन, वह बढ़ाई जा सकती है। म्युनिसिपल कमिश्नर को निगम के अन्दर ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति का भी अधिकार होगा जिनका वेतन दो सौ से कम होगा। मैं समझता हूं कि निगम के अन्दर ऐसे भी अधिकारियों की संख्या अधिक होगी जिनको दो सौ रुपये से कम वेतन मिलेगा। यदि यह अधिकार म्युनिसिपल कमिश्नर को दे दिया गया तो वहां के अधिकतर अधिकारी म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में रहेंगे और उसके पीछे-पीछे चलेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि जैसा दूसरी जगहों पर है, ऐसी नियुक्तियों का अधिकार मेयर को देना चाहिये और मेयर पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से ऐसी नियुक्तियां करे। यदि म्युनिसिपल कमिश्नर को अधिकार देना ही था तो छोटी छोटी जगहों पर नियुक्तियां, जिनकी तनख्वाह १०० रुपये से ज्यादा न हो, करने का अधिकार देते।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय चन्द्रजीत यादव को मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में डेढ़ बजे तक का समय वादविवाद के लिये निश्चित हो चुका है। नियमानुसार मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपको रोकूं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान में रखकर संक्षेप में अपना भाषण दें तो और सदस्यों को भी मौका मिल जायगा और मैं इसके लिये अनुगृहीत हूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव--मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय की राय का समुचित आदर करूंगा।

तो जैसा मैंने बतलाया कि इस प्रकार से जो व्यवस्था इस विधेयक में की गई है उसे देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इससे लोकतंत्रीय व्यवस्था के विकसित होने का पूर्ण अवसर नहीं मिल पाता है ।

दूसरी बात मेयर के सम्बन्ध में मुझे यह कहनी थी कि मेयर की नियुक्ति हर एक वर्ष के लिये होगी और वह लगातार दो वर्षों से अधिक के लिये उस पद पर नहीं रह सकता। एक माननीय सदस्य ने इस पर संकेत किया था कि यदि मेयर के कार्यकाल की अवधि एक ही वर्ष होगी तो एक वर्ष तो उसे सारी बातों को समझने में लग जायगा और यदि दूसरी बार उसका निर्वाचन नहीं हो सका तो प्रति वर्ष एक नया मेयर आयेगा और न उसे निगम की पूरी व्यवस्था ही समझ में आयेगी न वह सुचारु रूप से किसी कार्य का सम्पादन ही कर सकेगा। उसका नतीजा यह होगा कि वह म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में या ऐसे ही अधिकारियों के हाथ में एक खिलौना बनकर रह जायगा। अतः मेरा निश्चित मत है कि मेयर का चुनाव भी कम से कम पांच वर्ष के लिये होना चाहिये। वह पांच वर्ष के लिये इसलिये चुना जाना चाहिये कि वह उस व्यवस्था को समझ कर सुचारु रूप से संचालन कर सके। मैंने संक्षेप में इन छोटी-छोटी बातों की ओर संकेत किया। देखने में यह जरूर छोटी लगती हैं, लेकिन इनका नगर नियम विधेयक से गहरा सम्बन्ध है और इनसे लोकतांत्रिक पद्धतियों पर आघात होता है तथा उसे निर्बल करती हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय न्याय मंत्री मेरे सुझावों पर विचार करें और जब प्रवर समिति के अन्दर यह बिल जाता है तो प्रवर समिति के सदस्य और माननीय मंत्री भी इन बातों को ध्यान में रखते हुये इस विधेयक को सुचारू रूप से पुनः सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री मोहनलाल गौतम से) मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जहां तक हो संक्षेप में ही भाषण करें।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)--जिनके संशोधन हैं उनके लिये भी कोई उपाय है ?

श्री उपाध्यक्ष--उनको भी समय पर अवसर दिया जायगा।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत ही महत्व का है, इस मानी में कि आजादी के बाद हम अर्बन म्युनिसिपल यूनिट्स का इन्तजाम कैसे करेंगे उसका यह आधार है जिस पर यह बिल स्वीकार होगा और वह म्युनिसिपैलिटिज, नोटीफाइड एरियाज और टाउन एरियाज के लिये एक आधार होगा। इसलिये इसके सिद्धांतों पर गौर करना बहुत जरूरी है।

अब दिक्कत मेरी यह है कि यह सदन इसको एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर रहा है और उसके सिद्धांतों को मैं नहीं समझता कि हमने उनको स्वीकार किया है या नहीं। जहां तक कि बाद की बहस का सम्बन्ध है, जब प्रवर समिति की रिपोर्ट आ जायगी तो उस बहस का क्या असर प्रवर समिति की रिपोर्ट पर होगा, यह भी मैं समझने में असमर्थ हूं। जो ढांचा प्रवर समिति बना देगी और जो रिपोर्ट वहां से आयेगी, जिस प्रकार संशोधित बिल यहां प्रस्तुत होगा उसके बाद उस बहस का असर उस रिपोर्ट पर क्या होगा, इसके समझने में भी मैं असमर्थ हूं। इसलिये मैं समझता हूं कि जो सिद्धांत इस समय हैं उनको हम अच्छी तरह से सोच समझ कर प्रवर समिति के सुपुर्द करें, क्योंकि प्रवर समिति उसमें बहुत ज्यादा संशोधन नहीं कर सकेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह ठीक है कि म्युनिसिपल कार्पोरेशन को बहुत ज्यादा अधिकार दिये जा रहे हैं जो अधिकार म्युनिसिपैलटीज को नहीं हैं। उसके साथ ही साथ यह भी है कि उनका खर्चा बढ़ जायगा। खर्चा बढ़ जाने के बाद वह रुपया कहां से आयेगा। इस पर विचार किये बगैर यह सदन तै नहीं कर सकता कि कार्पोरेशंस बनायें या न बनायें। आज कल के जमाने में कार्पोरेशंस के जो कौंसिलर्स चुन कर आयेंगे उनके लिये नये टैक्सेज लगाना काफी कठिन होगा। वे अगर टैक्सेज नहीं लगा सकेंगे तो क्या गवर्नमेन्ट अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा देगी या उसका इन्तजाम कुछ सस्ता चलेगा? ये सारी बातें ऐसी हैं जिन पर हमें अच्छी तरह से विचार करना चाहिये। क्योंकि बाद में टैक्सेज लगे और सत्याग्रह हुआ—तो टैक्सेज कम्पेन छिड़ा—तो उससे ये कार्पोरेशंस चलने वाले नहीं हैं। हम लोग अच्छी तरह से समझ लें कि कार्पोरेशंस अगर हम बनाने जा रहे हैं तो खर्चा बढ़ेगा, तो टैक्सेज लगने की भी संभावना है और गवर्नमेन्ट से भी जब तक कुछ रुपया नहीं मिलेगा मेरे विचार में तब तक ये कार्पोरेशंस नहीं चल सकते।

इस कार्पोरेशन का जो मूल सिद्धांत है और पुराने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और इस कार्पोरेशन बिल का जो अन्तर है वह यह है कि इसमें सारा इन्तजाम दो हिस्सों में बट जायगा। लेजिस्लेटिव वर्क, पालिसी मेकिंग, बजट पास करना, यह तो जनरल बाडी के हाथ होगा लेकिन सारा एडमिनिस्ट्रेशन का एक्जिक्यूशन, एक्जिक्यूटिव पावर्स सारी सर्विसेज को होंगी। उसमें इलेक्टेड बाडी कोई दखल नहीं दे सकेगी। आज म्युनिसिपैलिटी का चीफ एक्जिक्यूटिव आफिसर प्रेसीडेंट आफ दी म्युनिसिपल बोर्ड है, उसके बाद कार्पोरेशंस में चीफ एक्जिक्यूटिव आफिसर म्युनिसिपल कमिश्नर हो जायगा। यह बहुत बड़ा अन्तर है जो आज के म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन और कार्पोरेशन में होगा, उसको हम अच्छी तरह से बिचार कर लें कि यह हम चाहते हैं या नहीं। जब तक सदन इस पर अपनी राय अच्छी तरह से कायम नहीं कर लेगा, प्रवर समिति के अधिकार से यह बाहर हो जायगा कि वह इसके सारे ढांचे को बदल दे।

अब जो एलेक्टेड बाडी होगी, जैसा कि कुछ और मेम्बरों ने कहा, उसका एक हिस्सा तो चुना हुआ होगा, कुछ एल्डरमैन, कोआप्टेड होंगे और कुछ गवर्नमेन्ट से नामिनेटेड होंगे। यह आज की म्युनिसिपैलिटीज से भिन्न तरीका है, इस पर भी हम विचार करें। पहले म्युनिसिपैलिटीज का टर्म जो कुछ होता है, उसके खत्म होने के बाद वह समाप्त हो जाती है और फिर उनका दोबारा चुनाव होता है। अब यह कार्पोरेशन परमानेन्ट बाडी होगी, वह कभी खत्म नहीं होगी और चौथाई सदस्य उसके हर साल चुने जायेंगे। यह भी सोचने की बात है कि क्या हर साल म्युनिसिपल कार्पोरेशन एरिया में चुनाव करायें और चुनाव की गरमी हर साल कायम रहे? लिस्ट का बनाना, उसको टांगना, उसका करेक्ट होना, सारी कांस्टीट्युएंसी का बनना, एलेक्शन होना, एलेक्शन पेटीशन होना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो म्युनिसिपल कार्पोरेशन के अन्दर लगातार कायम रहेंगी, यह भी सोचने की बात है।

अब सवाल यह है कि यह जो एलेक्टेड बाडी है, इसके कांस्टीट्यूशन के हिसाब से मेयर एक साल के लिये होंगे दूसरे साल चुने जा सकते हैं, तीसरे साल नहीं चुने जा सकते, और वह बाहर का आदमी भी होगा। इस प्रकार के मेयर जो बाहर के होते हैं, जिनको किसी म्युनिसिपल कार्पोरेशन में काम करने का ज्ञान न हो, वह एक साल में क्या कर पायेंगे क्या नहीं, यह साफ चीज है, उसका कंट्रोल, उसकी गिरफ्त वहां के म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कितनी रहेगी, इस पर गौर करने की जरूरत है।

जहां तक ऐक्जिक्यूटिव का ताल्लुक है, वह मेयर करेगा, मेयर उसमें मुख्य होगा, जिसको गवर्नमेन्ट मुकर्रर करेगी और तीन साल के लिये करेगी। वह, जरूरी नहीं है कि म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन से पहले वाकिफ ही हो, और अगर वाकिफ न हो तो वह कुछ दिनों में काम सीखेगा फिर चल देगा, उसके बाद फिर दूसरा नया आ जायगा। तो यह चीज कैसे चलेगी, क्या होगा, इन सब बातों पर विचार करने की जरूरत है।

जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाने का ताल्लुक है, एक्जिक्यूटिव पावर्स हैं, वह सब हमने सर्विसेज को दे दी हैं और सर्विसेज में एक मेयर है, दूसरे हेल्थ आफिसर है, ये भी गवर्नमेन्ट मुकर्रर

[श्री मोहनलाल गौतम]

करेगी। कुछ और आफिसर्स हैं –डिप्टी कमिश्नर और दूसरे लोग, वह पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह से उनको मुकर्रर करेंगे। दो सौ रुपये से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोग मुकर्रर किये जायेंगे म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा, पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश पर, और बाकी जो होंगे वह आफिसर्स कर लेंगे। इसमें जहां तक रिक्रूटमेन्ट का ताल्लुक है, वह पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह ली जायगी। दो सौ रुपये से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों की और नीचे के जो होंगे, वह उन आफिसर्स द्वारा नियुक्त किये जायेंगे जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त किया जायगा। इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां तक मुलाजिमों के रिक्रूटमेन्ट का सम्बन्ध है, वह बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से होना चाहिये। अगर उसमें गड़बड़ी हुई तो यह सब ढाँचा खत्म हो जायगा, क्योंकि अब तक चुने हुये आदमी कुछ गड़बड़ी करते हुये डरते थे कि भाई फिर हमको ५ साल के बाद आना है, इसलिये वह कुछ सही करने की भी कोशिश करते थे। अब ये जो आफिसर्स होंगे, अगर उनमें एक दफा गलत आदमी आ गये तो फिर खुदा ही मालिक है। फिर कोई इलाज नहीं, फिर चुने हुये आदमी के लिये कुछ अधिकार नहीं होगा। इसलिये यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसमें ठीक-ठीक काम चले।

मुझे अफसोस है कि अब तक जिस तरह से काम चल रहा है उसमें मुझे कुछ दिक्कत नजर आ रही है। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में मेरी राय है और मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर दुहराने की जरूरत महसूस करता हूं, क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा महत्व देता हूं, कि अगर इसके मेम्बर्स सूबे के बाहर से चुने जाया करें तो ज्यादा अच्छा हो, ताकि सिफारिशों का और उन तक पहुंच का दायरा बहुत कम हो जाय। इसके सम्बन्ध में स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ २१४ पर कहा है कि:—

"So far as promotion or disciplinary and other matters connected with services are concerned, no conceivable safeguards can ensure justice, should those in power choose to fill important posts on grounds other than those of administrative purity, efficiency and fairness. It is desirable, however, to constitute State Public Service Commissions in such a manner as to ensure that these bodies are not affected by particularist trends. This objective can be achieved to some extent by constituting, so far as possible, one Public Service Commission for more than one State. Under the Constitution appointments to Public Service Commissions serving more than one State are made by the President. We recommend that this principle be extended even to Public Service Commissions serving only single States. This arrangement, we are sure, will give these bodies a higher stature and more independence".

यह मेरी राय है। यदि इस तरह से हो जाय तो ज्यादा अच्छा है जिससे उनको इंडिपेंडेंस मिल जाय।

कल माननीय मंत्री महोदय ने पब्लिक सर्विस कमीशन को जो केसेज रेफर न किये जाने के सम्बन्ध में इंटरप्रटेशन दिया था, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता हूं और मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह इसके अनुसार सही नहीं है। इसमें यह है कि:—

"When a temporary or officiating appointment is to be made by direct recruitment, by the Governor or an authority other than the Governor, to a permanent or temporary post which falls within the purview of the Commission, if the person to be appointed is not likely to hold the post for a period of more than one year, provided that the person thus appointed shall not hold the post in question for total continuous period of more than one year without the commission being consulted."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन अल्फाज पर जो देना चाहता हूं कि:—

"If the person to be appointed is not likely to hold the post for a period of more than one year".

जिस जगह के एक साल के रहने की उम्मीद हो, रहे या न रहे यह सवाल नहीं है, चाहे टैम्पोरेरी हो या परमानेन्ट, अगर एक साल से कम की है, तो गवर्नमेन्ट कर सकती है। कल मैडिकल कालेज की नियुक्तियों के बारे में जो इंटरप्रटेशन माननीय मंत्री महोदय ने दिया था, उससे मैं डिफर करता हूं। अगर ऐसी प्रथा चली और एक साल के लिये गवर्नमेन्ट ने किसी को रख लिया तो एक चीज यह हो जायगी कि उसे तजुर्बा हो गया। इसलिये नये लोगों के आने के चांसेज कम हो जायेंगे। दूसरी बात यह है कि लोग प्रेजुडिस्ड हो जायंगे कि गवर्नमेन्ट इसको चाहती है।

अगर यही चीज हमारी म्युनिसिपैलिटीज में अख्तियार की गई तो मुझे पूरा भरोसा है कि सारा ढांचा ही तबाह हो जायगा, गिर जायगा, क्योंकि यह ढांचा इसी बात पर है कि इसकी सर्विसेज प्योर होंगी, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होंगी और पब्लिक सर्विस कमीशन ईमानदारी से काम करेगा। अगर यह कार्य ठीक नहीं करेगा, गड़बड़ी करेगा तो ठीक नहीं होगा, जैसा कि अब तक होता रहा है। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि जितने रिक्रूटमेन्ट्स १२० रु० मासिक वेतन से ज्यादा के हों वह किसी कमेटी या किसी बोर्ड के जरिये न करायें, सीधे पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दें। इसमें बहुत सी परेशानियों से आप बच जायेंगे, बहुत तबाही से बच जायेंगे। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक यह आदर्श हमारे सामने नहीं होगा और वही आदर्श होगा जिसको गवर्नमेन्ट हमारे सामने रखती है, तो ये कार्पोरेशन बेकार हो जायेंगे, इनको न बनाइये और जिस तरह से म्युनिसिपैलिटीज चल रही हैं उसी तरह से चलने दीजिये।

इसके अलावा और भी दो एक छोटी-छोटी चीजें हैं, उन पर भी सेलेक्ट कमेटी गौर कर लेगी; लेकिन जो मोटा ढांचा है उस पर हाउस अपनी राय जाहिर किये बिना अगर प्रवर समिति को भेज दे और उसको यह अधिकार दे दे कि अगर इस ढाचे में कोई रद्दोबदल करना हो तो वह कर सके। यह उचित नहीं होगा।

फिर डेवलपमेन्टल बोर्ड वगैरह हैं। सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्युएंसी, मल्टी मेम्बर कांस्टीटुएंसी है, सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट है, क्युमुलेटिव वोट हैं, मल्टीपुल वोट हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर प्रवर समिति गौर कर सकती है। इसलिये मैं ज्यादा न कह कर यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे ढांचे को अच्छी तरह से समझ कर प्रवर समिति को भेजें नहीं तो उसको इसके स्कोप को बढ़ाने का अधिकार दें।

श्री उपाध्यक्ष --(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर) आचार्य दीपंकर।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--मैं एश्योरेंस पर खड़ा हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष--प्रवर समिति की रिपोर्ट आ जाने पर अभी दो दिन और मिलेंगे। उस समय आप को अवसर दिया जावेगा।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि यह व्यवस्था कैसे दी गयी? कल जब मैंने कहा था तो उस पर चेयर की तरफ से यह एतराज फरमाया गया कि जब तक यह नियम नहीं सस्पेंड किया जायगा तब तक यह दो दिन की बात नहीं उठ सकती। अभी तक असेम्बली रूल्स सस्पेंड तो किये नहीं गये। तो श्रीमन्, कैसे यह कहते हैं कि दो दिन और बहस होगी?

श्री उपाध्यक्ष--मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आपसे सहमत हूं कि जो नियम इस वक्त है उससे तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सम्भव है कि सरकार प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद संबंधित नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव पेश करे और मुझे यह जानकारी सरकार की तरफ से है कि दो दिन का समय दिया जायगा। इसलिये मैंने कहा। (आचार्य दीपंकर से) मैं आपके अधिकारों की रक्षा करते हुये यह चाहूंगा कि संक्षेप में भाषण करें।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नगर निगम विधेयक जो हमारे सामने बहस के लिये प्रस्तुत है और जिसके बारे में यह पहले ही फैसला हो चुका है कि यह प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जायगा, प्रवर समिति किन विचारों के आधार पर इस पर विचार करे ये कुछ चीजें मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस बिल की आलोचना करने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस बिल को मैं थोड़ा इधर उधर देख पाया हूं इसलिये उतने ही हिस्से के बारे में अपने विचार सदन के सामने रखता हूं।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरी जो राय बनी वह यह है कि इसमें अधिकार इस तरह से तकसीम किये गये हैं कि न तो नगर निगम को पूरी तरह से अधिकार दिये गये हैं, और जो उन्हें अधिकार दिये भी गये हैं, वे हिचकिचाहट के साथ दिये गये हैं इस तरीके से वहां पर जो अधिकारी सरकार की तरफ से नियुक्त किये जायेंगे उनमें और निगम में लगातार का अन्तरविरोध चलता रहेगा जिसकी तरफ प्रवर समिति को बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसमें जो बार-बार यह कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से एल्डरमैन की नाम, जदगियां होंगी, इनके बारे में मैं समझता हूं कि ऐक्ट में ही यह बात साफ तौर पर आ जानी चाहिये कि वे मीटिंगों में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरीके का वोट का अधिकार नहीं होना चाहिये।

इसी तरीके से इसमें एक जगह पर यह है कि ७५ सदस्यों से ज्यादा इन निगमों के सदस्य नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि इसके बारे में यह अच्छा हो कि वहां यह कर दिया जाय कि हर दस हजार की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जायगा ताकि अच्छे से अच्छे तरीके पर जनतांत्रिक पद्धति के आधार पर इन कार्पोरेशनों में अच्छी नुमाइंदगी हो सके।

इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालय या डिग्री कालेजेज के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व इसमें बिलकुल सुनिश्चित रूप से किया जाना चाहिये, इसलिये कि इन कार्पोरेशंस की जिंदगी में, और वैसे पूरी सामाजिक जिन्दगी में, ये कितना बड़ी महत्व रखते हैं और इसीलिये उनका प्रतिनिधित्व कुछ अधिक होना चाहिये। विश्वविद्यालय और डिग्री कालेजेज के प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से अधिक संख्या में आने चाहिये और इसके लिये धारा ६ में एक उपधारा जोड़ी जानी चाहिये।

इसके साथ ही साथ, मैं समझता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिए विधान सभा के चुनावों की तरह सुरक्षित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वथा उचित है। लेकिन उनकी जन-संख्या को देखते हुये उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व का हक दिया जाना चाहिये। इसलिये कि कार्पोरेशन की जिन्दगी में सबसे ज्यादा उत्पीड़न, परेशानियां और दबाव इन्हीं लोगों पर पड़ता है, सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिये जहां हम यह तय करते हैं कि उनको स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधित्व का हक हो, उनको जन-संख्या के हिसाब से ज्यादा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी होना चाहिये, यानी सामान्यतः १० हजार पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है तो उनको ज्यादा से ज्यादा ५ हजार की जन-संख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने का हक होना चाहिये।

इसी तरीके से इसकी ८ वीं धारा में कही गई है यह बात कि मेयर को प्रति वर्ष सेवा-निवृत्त किया जायगा उसे हटाया जाना चाहिये, मेयर साहब अभी कुर्सी पर बैठ ही पायेंगे कि उनकी बेदखली का वारन्ट उनके सर पर आ धमकेगा। यह हर साल का जो उत्पीड़न है बन्द होना चाहिए और इस कार्पोरेशन की जिन्दगी में प्रति वर्ष कुछ सदस्यों का हटना और नया भर्ती होना यह नियम भी इसमें से बिलकुल निकाल दिया जाना चाहिये।

इसी तरह से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सदस्य नहीं रह गये हैं वे भी डिप्टी मेयर बनकर बैठ सकते हैं यह उपहासास्पद है और यह चीज इसमें से निकाल दी जानी चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी प्रकार से इसमें एक स्थान पर है कि यदि कोई व्यक्ति कारावास, निर्वासन अथवा पुलिस की हिरासत में है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। यह ठीक है कि एक निगाह से इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिये, लेकिन हम अपोजीशन पार्टी वाले इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इस तजुर्बे से हम लोग नावाकिफ नहीं हैं कि इस तरह से पुलिस के विशेषाधिकार खतरे से खाली नहीं हैं। इसे देखते हुये मैं चाहूंगा कि इसमें उचित संशोधन होना बहुत जरूरी है ।

इसकी सौवीं धारा की जो पहली उपधारा है उसके अन्दर इस तरह का अधिकार दिया गया है कि कार्पोरेशंस की मीटिंग में जो सम्बद्ध कर्मचारी हैं, आफिशियल्स हैं, वह भी हिस्सा लेंगे और उसमें समिति, उप-समिति, संयुक्त समिति अथवा विशेष समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा वहां होने वाली चर्चा में भाग लेने का वही अधिकार रखेंगे जो उसके किसी सदस्य को होता है। मैं समझता हूं कि वैसे ही कार्पोरेशन्स के अधिकारियों को बहुत ज्यादा अधिकार दिये गये हैं जिससे ये अफसर कार्पोरेशन की पूरी जिन्दगी पर हावी रहेंगे। परन्तु इतने अधिकार उनको और देना, तो कार्पोरेशन के सदस्यों के अधिकारों में कमी कर देना है।

दूसरी चीज यह है कि इस बिल में ५०,५० हजार रुपये तक के व्यय की स्वीकृति का अधिकार कमिश्नर को दिया गया है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति यदि चाहे तो सारे कारपोरेशन के बजट पर हावी हो सकता है और उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिये, कमिश्नर के असीमित अधिकारों में कमी की जानी चाहिये और उसको पूरी तरह से कार्पोरेशन के ही नियंत्रण में रखना चाहिये ।

इसी तरह १३४ खंड में म्युनिसिपल कमिश्नर के अधिकारों के सम्बन्ध में और चीजें हैं, उन्हीं के बारे में मैं कह रहा था। इस तरह से जो कार्पोरेशन के अधिकार हैं उनमें और गवर्नमेन्ट द्वारा नियुक्त बड़े-बड़े कर्मचारियों, खासतौर पर म्युनिसिपल कमिश्नर में इतना ज्यादा विरोध कर दिया गया है कि उनके आपस में विरोध ही शान्त नहीं हो पायेंगे और नतीजा यह होगा कि कार्पोरेशन के ही अधिकारों में कटौती होती जायगी। एक तरफ अधिकार दे दिये गये हैं और दूसरी ओर दूसरे तरीके से वे ले लिये गये हैं।

इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल के सारे आकार-प्रकार पर प्रवर समिति को विचार करना चाहिये और केवल कुछ धाराओं या उप-धाराओं पर ही विचार करके अपना काम समाप्त नहीं करना चाहिये। उसे इस विधेयक की पूरी स्प्रिट में तब्दीली करनी चाहिये ।

श्री त्रिलोकीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमन् का बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर अपना विचार प्रकट करने के लिये समय दिया, लेकिन श्रीमन् की सेवा में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि·····

श्री उपाध्यक्ष—संभवतः मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था कि आज सदन डेढ़ बजे तक चलेगा ।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं इस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मैंने सूचना भिजवा दी थी कि मैं १२ से १५ मिनट तक बोलना चाहता हूं। इस में डेढ़ बजे तक का समय हो जायगा। इसलिये यदि माननीय उपाध्यक्ष महोदय को स्वीकार हो और यह सदन स्वीकार करे तो इस बैठक का समय डेढ़ के बजाय पौने दो बजे तक कर दिया जाय ताकि इस पर ठीक से विचार हो सके।

आचार्य दीपंकर---मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में कुछ और भी काम है सदन के कार्य क्रम के अलावा, जो निश्चित किया गया है और कुछ लोगों को ऐसा करने में दिक्कत भी हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय दीपंकर जी से सहमत हूं और मैंने तो कायदे के अनुकूल न होते हुए भी समय डेढ़ बजे तक का कर दिया था। अगर माननीय नेता विरोधी दल चाहते हैं तो इस बात की व्यवस्था हो सकती है कि अभी हम उठ जायें और मध्याह्न के बाद हम जब बैठें तो उस समय १५ मिनट और वादविवाद हो जाय।

श्री त्रिलोकीसिंह---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को इस वक्त यहां पारित करके विधान परिषद् में भेजना है। उसके बाद ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के लिये नाम प्रपोज किये जायंगे, क्योंकि आज पांच बजे तक यह सारा काम पूरा हो जाना चाहिये। बहरहाल, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे वाद-विवाद में हिस्सा लेने के लिये इजाजत दी। इस अधिकार को फोरगो करके मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप माननीय मंत्री जी को इस पर बोलने को कहें।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने यह सोच रखा है कि अगर समय हुआ और दो दिन के लिये सदन और बैठा, तो अंत में उनको समय दूंगा। अगर आप अपना अधिकार छोड़ना चाहते हैं तो मेरे लिये जरूरी नहीं है कि मैं माननीय मंत्री जी को ही मौका दूं। मैं जानता हूं कि आप इस संबंध में कोई आपत्ति उठाना चाहते हैं, बहुत संभव है कि आप ही बोलने से वंचित रह जायं। तो इसलिये अभी समय है, आप अपने समय का उपयोग कर लें।

श्री त्रिलोकीसिंह---मैं आपका मशकूर हूं, लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया, मैं १५ मिनट चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं उनके समय में दखल दूं और जो विभाग के मंत्री हैं, उनको अपने विचार प्रकट करने का मौका न मिले।

श्री उपाध्यक्ष---जहां तक मेरा ख्याल है अगर सदन ने समय बढ़ाया तो मैं उनको समय दूंगा, वरना नहीं।

श्री त्रिलोकीसिंह---श्रीमन्, यह हमारा दुर्भाग्य है कि देश आजाद हो गया और प्रदेश भी आजाद हो गया, लेकिन स्थानीय निकाय, जो आजादी की पहली सीढ़ी हैं, उनको पूर्णरूप से आजादी नहीं मिली। मैं इतिहास की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सब से पहले इस देश में म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की स्थापना सन् १८८५ में हुई। अब देश तो आजाद हो गया और संविधान भी है, लेकिन मैं, श्रीमान् के द्वारा, इस आदरणीय सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों, म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और टाउन एरियाज पर सरकार का पहले से ज्यादा अब अंकुश है। मैं इसको एक खतरे की बात समझता हूं।

कार्पोरेशन, लखनऊ और चार बड़े शहरों में कायम किया जायगा। वहां पर म्युनिसिपल बोर्ड को भंग किया जायगा और उसको बड़ा नाम दिया जायगा। बड़े नाम का मतलब यह है कि म्युनिसिपैलिटी के अधिकारों में वृद्धि की जायगी। उस समय म्युनिसिपैलिटी का शासन, लखनऊ और इलाहाबाद में था, उसमें कुछ इजाफा किया जायगा लेकिन मैं बहुत अदब से यह गुजारिज करूंगा कि यदि पुराने म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट से इस नगर निगम विधेयक का मुकाबला किया जाय तो जहां तक उसके अधिकारों का सवाल है, अब इस विधेयक में सरकार का नियंत्रण अधिक रखा गया है। पहले म्युनिसिपल बोर्ड भंग किये जा सकते थे, अगर वह ठीक से काम न करें और अपने अधिकारों का flagrant and persistent misuse करें, लेकिन अब इस नये विधेयक में यह है कि इनकैपेबिल आफ वर्किंग से, अयोग्यत से मुअत्तिल किया जा सकता है। जिसक बारे में सरकार को यह मालूम हो कि यह आदमी अपना काम ठीक से नहीं करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जायगा। मैं

तो इस देश का कार्य इस दृष्टि से देखता हूं कि जिस तरह से गांवों का काम पंचायत, जिले का काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, प्रदेश का काम प्रदेशीय सरकार और सारे देश का काम यूनियन गवर्नमेंट करती हैं, उसी तरह से शहरों का काम म्युनिसिपल बोर्ड करता है। गांवों में जो अधिकार जिला बोर्ड को हैं वही अधिकार शहरों में म्युनिसिपल बोर्ड को है? अब कई अधिकार पहले म्युनिसिपल ऐक्ट के मुकाबले में इस विधेयक में जो प्रपोज किये गये हैं, वे बहुत कम हैं।

कहने के लिये एक "मेयर" होगा लेकिन मेयर के अधिकार क्या होंगे, क्या ड्यूटी होंगी, क्या फंकशंस होंगे इसका कोई जिक्र नहीं है। पूरे ऐक्ट को देख डालिये, यही मालूम होगा कि यह कोई प्रेसाइडिंग आफिसर होगा। होगा मेयर, लेकिन वास्तव में अधिकार कुछ नहीं है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, मेयर होना चाहिये "Chief Officer of the Municipal Corporation"। यहां चीफ एग्जीक्यूटिव आफीसर होंगे म्युनिसिपल कमिश्नर जिनकी नियुक्ति प्रदेशीय सरकार करेगी। यदि प्रदेशीय सरकार में यह हो जाय कि इनके चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति केंद्रीय सरकार करेगी तो मैं बड़े अदब से निवेदन करूंगा कि इनका तमाम काम बिगड़ जायगा। अपने मातहत पर नियंत्रण और कंट्रोल तो होना ही चाहिये। कोई वजह नहीं है कि बड़े-बड़े शहरों में जहां ४,५ लाख की आबादी तो है ही, वहां इस बात का शक किया जाय कि ऐसे आदमी नहीं होंगे जो म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर ठीक से नियंत्रण रख सकें; देश आजाद हो गया लेकिन जो ब्रिटिश सरकार की डिस्ट्रिक्ट की पालिसी थी वह आज भी चली आ रही है कि स्थानीय निकायों को कम से कम अधिकार दिये जायं और ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल उन पर सरकार का रखा जाय।

एक जगह लिखा हुआ है कि म्युनिसिपल अथारिटीज सस्पेंड की जा सकती हैं। मालूम नहीं क्या बात है? मैंने तो बहुत उलटा-पलटा कि कहीं निकल आवे, मगर यू० पी० के किसी कानून में नहीं निकला। स्थानीय निकायों की बात हमने पाश्चात्य देशों से ली है। अगर आप इंगलैन्ड, फ्रांस, अमरीका जावें तो आप देखेंगे कि वहां मेयर को बहुत अधिकार हैं। यहां ड्यूटी में लिखा है कि दफ्तर कायम करेंगे। इस कानून के बनाने में चार वर्ष लगे हैं और वह केवल यही लिख पाये कि दफ्तर कायम किया जायगा। तो क्या बिना दफ्तर के भी कोई संस्था चल सकती है? डिसक्रीशनरी फंकशन्स में लिखते हैं कि लेपर एसाइलम होगा, शिक्षा के संबंध में या और संकटों में वह उपाय करेगा, ऐसा दूसरे देशों में है। यहां यह रखा गया है कि अगर वह चाहें तो करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमने म्युनिसिपल बोर्ड्स को बड़ा भारी नाम दिया है तो उनको अधिकार भी देने चाहिये। चुनाव होगा, कभी बोर्ड भंग नहीं होगा, लगातार कायम रहेगा और हर २ साल के बाद एक हिस्से का चुनाव होगा, जैसा कि लेजिस्लेटिव कौंसिल या कौंसिल आफ़ स्टेट में होता है। जब यह भंग नहीं होगा तो यह सरकार क्यों भंग करने का अधिकार लेती है? सरकार भंग करेगी, क्योंकि ठीक से काम अन्जाम नहीं दिया जा रहा है, और भंग भी होगा अनिश्चित काल के लिये, यह बड़ा अन्याय है। नये आदमियों के आने का सिलसिला कायम रहता है और डिसोल्यूशन की प्रथा अननोन है। सरकार की इस मामले में कितनी दिलचस्पी है यह इसी से जाहिर होता है कि इस समय एक भी मंत्री उपस्थित नहीं है। हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार का बिल है और सरकार ने चार वर्ष टाले हैं। मैंने निवेदन किया कि हम तो इसे ४ मिनट में पास करा दें मगर लाइये तो। जिन माननीय मंत्री ने इसे पेश किया है वह स्वयं ही मौजूद नहीं हैं और कुछ कहा भी नहीं कि क्यों अनुपस्थित हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आपका खयाल है कि वे लापता हैं?

श्री त्रिलोकीसिंह—अगर वह बाहर हों तो मुझे उसका इल्म नहीं है और न मैं उसका नोटिस लेना अपने लिये मुनासिब समझता हूं। इस बिल में मेयर के फंकशन्स का कहीं जिक्र नहीं है। एक पालिसी आफ डिसट्रस्ट चल रही है। म्युनिसिपल कमिश्नर पर कोई अंकुश नहीं रहेगा और जब चाहें मनमाने ढंग से किसी मेम्बर को ससपेंड कर दें। सन् ४० स पहले भारतवर्ष में म्युनिसिपल बोर्ड्स में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में कोई मेंम्बर सस्पेंड नहीं

श्री त्रिलोकीसिंह]

होता था। लड़ाई के जमाने में गवर्नर ने सस्पेंड करने का आर्डिनेंस निकाला कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सस्पेंड भी हो सकता है। लेकिन इस प्रजातांत्रिक सरकार ने तो उसे मुस्तकिल कर दिया है।

एक यह भी निवेदन है कि मेंबर साहब निकाले जा सकते हैं अगर उन्हें छूत की बीमारी हो। मैंने लखनऊ के बड़े-बड़े डाक्टरों से पूछा और मेडिकल कालेज के लोगों से भी जो इस रोग में बड़ी जानकारी रखते हैं, पूछा कि क्या जुकाम ऐसा रोग है जो इन-फेक्शस है? तो उन्होंने कहा कि हां, है। तो इस प्रकार सरकार ने इन्फेक्शन के बारे में किया है। मैं निवेदन करूंगा कि वे इस बात का भी लिहाज रक्खें कि सरकार में कोई ऐसा मंत्री न हो जाय जिसको इस तरह का इंफेक्शन हो और जनता उसको यहां से निकालने को कहे तब उसे सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट लेना पड़े।

श्रीमन्, इसमें लिखा गया है कि इसकी इमारत बनाने के लिये सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक है। बड़े शहरों में मकानों को बनवाते समय उसका नक्शा तैयार होता है और नक्शा पूरा बनवाया जाता है। तो उसके लिये रक्खा गया है कि जब तक उसके अनुसार पूरा मकान न बनवाये वह औक्यूपाई नहीं कर सकता और अगर बनवाये तो निकाल दिया जाय। आज लोगों की जैसी हालत है वह तो पता ही है। उस हालत में अगर उसका मकान पूरा नहीं बनता है तो वह उसमें नहीं रह सकता।

चूहों की फिक्र भी सरकार को है। अगर किसी मकान के बनवाते समय कहीं मलबा इकट्ठा हो जाय और उसमें चूहे रहने लगें तो उससे अगर लोगों की तन्दुरुस्ती पर बुरा असर हो या कार्पोरेशन के काम में खलल हो तो वह मलवे को हटा सकता है। इसलिये मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूरा बिल संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, उसके अधिकारों का कोई लिमिटेड स्कोप नहीं, वह एक-एक धारा और उसके शब्दों पर गौर कर सकती है और मैं चाहता हूं कि वह इस पर बहुत गौर से विचार करें।

जहां तक इस नगर निगम विधेयक पर विचार होने की बात है, सरकार के मुकाबले में विरोधीदल की इसमें ज्यादा दिलचस्पी है और वह दिलचस्पी इसलिये ज्यादा है कि कई सालों से लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस आदि बड़े-बड़े शहरों की म्युनिसिपैल्टीज पर सरकार अधिकार किये हुए है और वहां के लोगों को अधिकारों से वंचित किये हुए है, जिसकी वजह से म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन में तमाम खामियां आ गयी हैं और मैं चाहता हूं कि वे खामियां जल्द से जल्द दूर हों।

श्रीमन् की तवज्जह मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि लखनऊ में कार्पोरेशन बनेगा, शहर बढ़ेगा, लेकिन इसके अन्दर यह भी रक्खा गया है कि उसकी हदबन्दी की जायगी। मेरी समझ में यह नहीं आया कि हदबन्दी का क्या कोई झगड़ा कभी हो गया, जिसकी वजह से अब हदबन्दी की जा रही है? श्रीमन्, आप गौर करें, लखनऊ शहर के आस-पास यह रोक लगा दी गयी थी कि चूंकि शहर बढ़ेगा इसलिये आस-पास के मकानों वाले अपने मकानों को पक्का न बनवायें, कोई हिस्सा उसका आगे को न बढ़ायें। इस तरह की बात इसमें भी रखना चाहते हैं।

रही फाइनेंस की बात। इसमें लिखा गया है कि यदि कोई कार्पोरेशन कर्जदार होगा तो उसके बजट को सरकार मंजूर करेगी। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा कार्पोरेशन है जो कर्जदार न हो। मान लीजिये किसी कार्पोरेशन को सड़क या नालियां बनानी हैं अथवा और कोई बड़ा काम करना है तो उसको अवश्य ही कर्जे की जरूरत होगी। इसलिये सरकार ने बजट की मंजूरी ली।

इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव यहां उपस्थित किया गया है, कि यह बिल संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और उसकी रिपोर्ट ३१ अगस्त तक मांग ली जाय, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी अगर बोलना चाहें तो २–३ मिनट बोल सकते हैं।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सेवा में इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। कल सरकारी पक्ष की तरफ से कुछ म्युनिसिपैलिटियों का नाम लेकर उनके ऊपर आक्षेप किया गया था जिसके बारे में मेरा यहां पर जवाब देना आवश्यक है। लेकिन अभी आपके द्वारा मुझे मालूम हुआ कि बोलने की अनुमति केवल थोड़े ही समय के लिये दी जायगी। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे बोलने के लिये कुछ अधिक समय देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर वे किसी का नाम लेकर जिक्र करते तो मैं आपको समय दे सकता था, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज का नाम लेने से इस बात की जरूरत नहीं है कि मैं आपको समय दूं। जब प्रवर समिति से यह बिल लौट कर आयेगा और इस पर बोलने के लिये दो दिन का समय दिया जायगा उस समय मैं आपको समय दे सकता हूं।

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक को इन दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भेजने का संबंध है, उससे सभी सहमत हैं। सरकार की ओर से भी यह सहमति है कि प्रवर समिति की रिपोर्ट ३१ अगस्त, १९५७ तक आ जाये। इस संबंध में माननीय सदस्यों ने आपके द्वारा जो विचार प्रकट किये हैं, उस पर मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्यों को कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि इस बिल के द्वारा राज्य सरकार ने म्युनिसिपल कमिश्नरों के एप्वाइंटमेंट के अधिकार को अपने हाथ में रखा है। ऐसा नहीं है। अगर कोई राज्य कर्मचारी है तो उसकी नियुक्ति पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही हुई होगी। इसलिये उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं समझी गयी, अन्यथा पब्लिक सर्विस कमीशन की सहमति लेकर ही नियुक्त की जायगी। विशेष आपत्ति मेयर के इनडाइरेक्ट चुनाव के ऊपर है। इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपैलिटीज के संबंध में जो कानून बना है उसके अनुसार चेयरमैन का चुनाव डाइरेक्ट हुआ करता था। उसी कार्यकाल में उन्होंने उसको बदला भी और बदल कर इनडाइरेक्ट चुनाव चेयरमैन का मुनासिब समझा। यह बात सरकार की जानकारी में है और करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों की जानकारी में भी है। मेयर का कार्यकाल एक वर्ष का रखा गया है। इस संबंध में भी काफी चर्चा की गयी। इस संबंध में और जितनी बातों के बारे में सुझाव दिये गये हैं, इस समय मैं यही कह सकता हूं क्योंकि यह बिल प्रवर समिति के सम्मुख जा रहा है, वहां इन सब सुझावों पर विचार करके ही यह बिल सदन के सम्मुख आवेगा। कुछ आपत्ति इस पर भी की गयी कि बाहर से या और देशों से भी कुछ धारायें लाकर इसमें रखी गयी हैं। जहां तक मैं समझ सका हूं बम्बई प्रांविंशियल कार्पोरेशन ऐक्ट, १९४९ से संबंधित कुछ धारायें तथा कलकत्ता और मद्रास कार्पोरेशन्स से संबंधित कुछ धारायें इसमें लायी गयी हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—पहले मैं पालीवाल जी के संशोधन के ऊपर राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि स्वशासन मंत्री के उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७ संबंधी प्रस्ताव में ये शब्द और जोड़ दिये जायं :—

"जो अपनी रिपोर्ट ३१ अगस्त, १९५७ तक दे दे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७, उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को उसके विचारार्थ निर्दिष्ट किया जाय, जो अपनी रिपोर्ट ३१ अगस्त, १९५७ तक दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---अब हम उठते हैं और साढ़े चार बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर २९ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ४ बजकर ३५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

कतिपय समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पास अभी इस बात का निवेदन आया है कि निम्नलिखित समितियों के लिये जो नामजदगी के पर्चे दाखिल किये गये हैं, उनके नामों की वापसी के लिये और समय बढ़ा दिया जाय । वे समितियां हैं सार्वजनिक लेखा समिति, वित्त समिति, प्राक्कलन समिति, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी, इन्टरमीडियेट बोर्ड, रुड़की यूनिवर्सिटी सीनेट और राज्य-मद्य निषेध बोर्ड ।

तो अब नामों की वापसी के लिये समय ४ अगस्त, १९५७ तक रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे यह कहना है कि इसमें दो तीन कमेटियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उनका निर्माण यदि पहले न हुआ तो सारे काम में गड़बड़ी की संभावना है, जैसे फाइनेंस कमेटी है, जो नये आइटम्स आफ एक्सपेंडिचर की जांच करती है। अब बजट जुलाई में आ जायगा और यदि यह कमेटी अभी नहीं बनती तो वह कुछ नहीं कर पायेगी और इस तरह से उसका जो अधिकार है वह भी समाप्त हो जायगा । इसी तरह से पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है, आडिट रिपोर्ट पड़ी है, बगैर कमेटी के बने कोई काम नहीं हो सकता। इसलिये मैं चाहता हूं कि कोई तरीका ऐसा निकाला जाय कि अभी नामों की वापसी हो जाय और समितियां बन जायं।

श्री उपाध्यक्ष---इसका कारण यह है कि एक-एक कमेटी के लिये जहां २० नामों की जरूरत है, वहां सौ-सौ और डेढ-डेढ सौ नाम आये हैं और कुछ मेम्बर्स नाम देकर घर भी चले गये हैं । वापसी के लिये उनको तलाश किया गया, लेकिन वह नहीं मिल रहे हैं। अगर वापसी समय से नहीं होती हैं तो दूसरा रास्ता चुनाव का है। या तो पोस्टल बैलट से चुनाव कराया जाय या मेम्बर यहां आकर चुनाव करें। इस तरह की कठिनाई पड़ रही है, इसलिये समय बढ़ाया जा रहा है। पार्टियों में इस संबंध में अनुशासन नहीं है कि समय से नामों की वापसी हो जाय। पार्टियों में अनुशासन न हो तो काफी कठिनाई पड़ती ही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जहां तक विरोधी दल का सवाल है हमारी ओर से सब नाम ठीक कर लिये गये हैं और पांचों विरोधी दलों ने अपनी लिस्ट तैयार कर ली हैं और वापसी कर ली हैं।

श्री उपाध्यक्ष---लेकिन नतीजा तो वही रहेगा चाहे वापसी एक पार्टी की ओर से न हुई हो या अधिक की ओर से।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो एक झाड़ू से सबको बटोर दिया। भर्त्सना करना है तो आप उस दल की कर लें जिनके सदस्य नाम देकर चले गये न कि उनकी रौ में सबको लपेट दें।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, मेरा मतलब यह है कि भर्त्सना के पात्र वह हैं जिन्होंने नाम दाखिल किये और चले गये पर वास्तव में यह सदन की कमेटियां हैं और इसलिये सभी की संयुक्त जिम्मेदारी आ जाती है।

श्री राजनारायण---आप कहें तो एक-एक नाम अपना हम अब भी हटा लें ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी पार्टी विरोधी दल में ऐसी नहीं है जिसने अपने नाम वापस न ले लिये हों, केवल कांग्रेस पार्टी ही ऐसी रह जाती है जिसके नाम अभी तय नहीं हैं। इसलिये सरकार से कहा जाय कि वह अपने नाम वापस कराये और इसमें विरोधी दल का कोई कसूर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—सदन की यह समितियां नहीं बन रही हैं, इसका कारण कांग्रेस पार्टी ही हो सकती है, लेकिन उसका नतीजा यह है कि निर्वाचन नहीं हो सका।

सदन के दो घंटे तक स्थगित रहने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—मैं अपनी जानकारी के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि अभी बैठने से पहले २ घंटे तक सदन की कार्यवाही क्यों स्थगित रखी गई ?

श्री उपाध्यक्ष—असल में सदन के सामने कोई कार्य नहीं था और कौंसिल से जो प्रस्ताव पास होकर आने वाला था वह साढ़े चार बजे से पहले नहीं आ सकता था इसलिये मैंने सोचा कि साढ़े चार बजे के बाद कार्य आरम्भ किया जाय।

श्री मलिखानसिंह—प्वाइन्ट आफ आर्डर, आपने कहा कि काम नहीं रह गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी संबंध में कुछ और जानकारी करना चाहता हूं कि आज अजेंडे में हमारे सामने जो अन्य विधेयक पास करने के लिये उपस्थित किये गये थे, क्या उनके ऊपर दो घंटे में बहस नहीं की जा सकती थी ?

श्री उपाध्यक्ष—यह विधेयक पास कराना सरकार का काम है और मैं समझता हूं कि विरोधी दल को इसमें उत्सुक नहीं होना चाहिये, क्योंकि जिन विधेयकों को आप पसन्द नहीं करते उनके पास होने में अगर देर लगे तो यह विरोधी दल के लिये प्रसन्नता की बात है कि वे पास नहीं करा पाते।

उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७ की संयुक्त प्रवर समिति पर कार्य करने के लिये निर्वाचित सदस्यों की सूची

श्री उपाध्यक्ष—नगर निगम विधेयक के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय सदन ने पास किया था और विधान परिषद् को भेजा गया था उसके बारे में यह संदेश कौंसिल से आया है जो मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं—

सेवा में,

श्री अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

महोदय,

विधान परिषद् की नियमावली के नियम १६९ (१) के अन्तर्गत मुझे आपको यह सूचना देनी है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ९ मई, १९५७ की बैठक में श्री अलीजहीर, न्याय मंत्री, का निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है :—

"उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन ३१ अगस्त, १९५७, तक उपस्थित करे।"

२—विधान परिषद् ने अपनी उसी दिन की बैठक में उपर्युक्त प्रवर समिति पर काम करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को भी निर्वाचित किया है:—

१—श्री कुंवर गुरुनारायण
२—श्री वीरेंद्र स्वरूप

[श्री उपाध्यक्ष]

३—श्री पीताम्बर दास
४—श्री (हकीम) बृजलाल वर्मन
५—श्री प्रसिद्धनारायण अनद
३—श्री शिवप्रसाद सिन्हा
६—श्री निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी
८—श्रीमती तारा अग्रवाल

भवदीय,
ह० चन्द्रभाल,
सभापति, विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

अब बाकी १६ सदस्य इस सदन को चुनने हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिय प्रस्ताव आना चाहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में प्रवर समिति के लिये विधान सभा की ओर से निम्नलिखित १६ नाम प्रस्तुत करता हूं:—

१—श्री कमलापति त्रिपाठी, गृह मंत्री
२—श्री सैयद अली जहीर, न्याय मंत्री
३—श्री देवकीनन्दन विभव
४—श्री कैलाश नारायण गुप्त
५—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित
६—श्री रामस्वरूप यादव, स्वशासन मंत्री के सभा सचिव
७—श्री मोहनलाल गौतम
८—श्रीमती विन्दुमती दास
९—श्री गनेशीलाल चौधरी
१०—श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव
११—श्री मोतीलाल अवस्थी
१२—श्री टम्बरेश्वर प्रसाद
१३—श्री गोविन्दनारायण तिवारी
१४—श्री शिवराज बहादुर
१५—श्री पब्बरराम
१६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल

श्री उपाध्यक्ष—और कोई नाम तो सदन के सामने नहीं है?

(कोई आवाज नहीं आई)

प्रश्न यह है कि विधान सभा के निम्नलिखित १६ सदस्य उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक १९५७ को संयुक्त प्रवर समिति के लिये निर्वाचित किये जायं:—

१—श्री कमलापति त्रिपाठी, गृह मंत्री
२—श्री सैयद अली जहीर, न्याय मंत्री
३—श्री देवकीनन्दन विभव
४—श्री कैलाशनारायण गुप्त
५—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित

६—श्री रामस्वरूप यादव, स्वशासन मंत्री के सभा सचिव
७—श्री मोहन लाल गौतम
८—श्रीमती विन्दुमती दास
९—श्री गनेशी लाल चौधरी
१०—श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव
११—श्री मोती लाल अवस्थी
१२—श्री टम्बरेश्वर प्रसाद
१३—श्री गोविन्द नारायण तिवारी
१४—श्री शिवराज बहादुर
१५—श्री पब्बरराम
१६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय स्वशासन मंत्री जी इस संयुक्त प्रवर समिति के पदेन सदस्य होंगे और मैं उनको इस संयुक्त प्रवर समिति का सभापति नामजद करता हूं।

लखनऊ वाटर वर्क्स की सप्लाई कैपेसिटी से सम्बद्ध ३०-४-५७ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ६ के विषय पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष—अब लखनऊ वाटर वर्क्स की सप्लाई कैपिसिटी से सम्बन्धित श्री त्रिलोकी सिंह द्वारा ३०-४-५७ को पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ६ के विषय पर नियम ४२ (१) के अन्तर्गत विवाद होगा।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठे-बैठे अर्ज करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं परमानेंट तरीके पर आपको इसकी आज्ञा देता हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह—श्रीमन्, शुक्रिया। लेकिन मेरी डिसएबिलिटी परमानेंट नहीं है।

मैं कृतज्ञ हूं कि मुझे यह अवसर दिया गया कि ३०-४-५७ को लखनऊ की वाटर सप्लाई के सम्बन्ध में मंत्री जी द्वारा जो उत्तर प्राप्त हुआ था उस सम्बन्ध में वाद-विवाद करूं। माननीय मंत्री ने फ़रमाया था कि २६ मिलियन गैलन पानी लखनऊ नगर में वाटर वर्क्स से सप्लाई होता है और यह पानी लखनऊ के नागरिकों के इस्तेमाल के लिये बहुत काफ़ी है और इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। श्रीमन्, यदि लखनऊ की आबादी से इस २६ मिलियन गैलन को तकसीम किया जाय तो एक नागरिक पर ४० गैलन पानी रोज आता है। लेकिन तजुर्बा बिलकुल इसके विपरीत है। ४० गैलन को अगर मैं हिन्दी कर दूं, जो हिन्दी रवां है, तो २० बाल्टी पानी हुआ। लेकिन २० बाल्टी पानी लखनऊ के नागरिकों को औसत में इस्तेमाल करने को नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जिस हिस्से में यह आदरणीय सदन है, हजरतगंज, गणेशगंज और हुसैनगंज वार्ड, जो नदी के इस पार हैं वहां ४० गैलन दूर रहा ४ गैलन भी नहीं मिलता। कोठों पर पानी नहीं चढ़ता और नीचे भी पानी की मात्रा बहुत कम है। लोगों को घंटों लाइन लगाये खड़े रहना पड़ता है।

श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं निवेदन करूंगा कि लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड को १९४७ में नोटिस दिया गया था कि वह अपने पानी की सप्लाई को बढ़ाये, वह बहुत कम है। उसके बाद म्युनिसिपल बोर्ड ने २ साल के अन्दर अपनी पानी की सप्लाई १५ मिलियन गैलन से २५ मिलियन गैलन कर दी। उसके दो साल उपरान्त म्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीड हुआ और जिस समय से बोर्ड सुपरसीड हुआ है एक गैलन भी पानी की मात्रा नहीं बढ़ायी जा सकी, बावजूद

[श्री त्रिलोकीसिंह]

इसके कि ८० लाख रुपया पहले खर्च हो चुका था और १ करोड़ ५२ लाख रुपये का अब बजट है कि पानी की सप्लाई को लखनऊ में ठीक किया जाय। १ करोड़ ५२ लाख रुपया सरकार द्वारा सीधा खर्च किया जा रहा है, म्युनिसिपल बोर्ड वालों का इसमें मशविरा नहीं लिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि १ करोड़ ५२ लाख के खर्च के बाद, जो प्रोपोज्ड खर्चा है, ५० लाख रुपया खर्च हो चुका है और हजरतगंज, गणेशगंज और हुसेनगंज वार्ड में पानी नहीं मिलता, इसका क्या कारण है ?

मैं आदरणीय सदन की सूचना के लिये इस २५ मिलियन गैलन के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। गऊ घाट में दो घड़ियाँ लगी हुई हैं यह जानने के लिये कि कितना पानी गया। इन घड़ियों में से एक घड़ी अर्से से टूटी पड़ी है। पानी का अन्दाज इस नल से बता देते हैं जिससे पानी आता है कि इस नल की इतनी कैपेसिटी है और उससे पता लग जाता है कि इतने मिलियन गैलन पानी चला है। सेटिलिंग टैंक्स के ऊपर जो इनकमिंग वाटर है ऐशबाग में, जहां से पानी आता है वहां चार साल से मीटर बेकार पड़े हुए हैं। चार मीटर हैं। चार में से केवल दो मीटर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हिन्दुस्तान में उन मीटरों की मरम्मत न हो सके, लेकिन यह मरम्मत भी नहीं करायी जाती। इसी तौर पर श्रीमन्, यह आदरणीय सदन इस बात पर गौर करे कि पम्पिंग प्लांट, जहां से पानी लिया जाता है, उसमें भी कुछ वीयर एंड टीयर होते हैं, कुछ पुर्जे घिसते हैं। तो जितनी उनकी कैपिसिटी उस समय थी जब वह लगाये गये थे, उससे अब कम है और जब घड़ी ठीक नहीं है तो यह अनुमान करना कि उतना ही पानी देते हैं, यह बात सही नहीं है।

असल दिक्कत एक बड़ी भारी यह है कि पानी यहां जाया बहुत होता है। पानी का बहुत वेस्टेज है। इस शहर के वह इलाके, वह मुहल्ले जो नीची जगह पर स्थित हैं और लखनऊ शहर में ऊंची नीची जगहें बहुत काफी हैं, जिस सड़क पर चले जाइये चढ़ाई मिलेगी फिर आगे चलिए उतार मिलेगा तो जो नीचे मुहल्ले हैं वहां पानी बहुत वेस्ट होता है। इसको ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार का इन्तजाम हो कि ऐडजस्टमेंट वाल्व्ज लगा दिये जायं। लो लेविल पर पानी ज्यादा न जा सके इसके ऐडजस्टमेंट वाल्व्ज होते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पहले सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। अब वह खुद डेढ़ करोड़ रुपये की स्कीम का काम करा रहे हैं। वाल्व्ज के ऐडजस्टमेंट का काम सिविल इंजीनियर का है और यह काम मेकेनिकल इंजीनियर के सिपुर्द कर दिया गया है। नतीजा उसका यह है कि एक-एक बूंद पानी को हमारे लखनऊ शहर की आबादी का आधा हिस्सा तरस रहा है।

मैंने इस प्रश्न को इसलिये उठाया कि इस गरमी के मौसम में जब सरकार का यह खयाल है कि तमाम काम ठीक है, पानी के बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो यह डेढ़ करोड़ रुपये की योजना कैसी ? डेढ़ करोड़ रुपये की योजना के बाद पानी क्यों नहीं बढ़ा ? २५ मिलियन गैलन से काम नहीं चल सकता। इस सिलसिले में सरकार की ओर से माननीय मंत्री कुछ सन्देह को दूर करने की कृपा करेंगे। दूसरे आज कौंसिल हाउस में भी पानी नहीं है। सब बम्बे बन्द हैं। नीचे से पानी आ रहा है।

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ के बम्बों से पानी कम आने की शिकायत के सम्बन्ध में मेरा तो यह खयाल है कि जब से मेरी याद काम करती है, तब से शायद इस शहर में कभी भी पूरे तौर से पानी नहीं आया है। कुछ न कुछ पानी तो कम आता ही रहा है। उसकी वजह यह है कि यहां का वाटर वर्क्स सन् १८९४ ई० में बना था। उस वक्त यहां की पापुलेशन तकरीबन २ लाख थी और दो लाख की पापुलेशन होते हुए भी, मेरे खयाल में शायद आधी पापुलेशन के लिये वाटर वर्क्स तैयार किया गया था। अब पापुलेशन बढ़ते-बढ़ते पांच लाख से ऊपर हो गयी है इसलिये उसके बढ़ाने की जरूरत हुई। लेकिन जितनी काम्प्रिहेंसिव स्कीमें आनी चाहिये थी, जिसके जरिये से शहर को पानी पूरे तौर से मिलने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगे, वह आज तक न आ सकी, क्योंकि न उतना रुपया खर्च किया गया और न वह स्कीम बनी। बहरहाल वह कमी चली आती है। सूरतेहाल यह है कि पानी तो वहां जो दरिया से लिया जाता है और साफ किया जाता है, पांच हिस्से हैं इसके, एक तो दरिया से पानी लेते हैं गऊ घाट के ऊपर, फिर तीन मील के करीब उसे ऐशबाग भेजते हैं। वहां वह टैंक्स में जमा होता है। फिर उसकी सफाई होती है फिर वहां से बड़े-बड़े फीडर पाइप्स के जरिये से शहर में बह जाता है। तीन बड़े-बड़े फीडर पाइप्स बने हैं--एक १४ इंची, दूसरा १८ इंची और तीसरा २१ इंची। इन तीन बड़े पाइप्स के जरिये से पानी चलता था, केवल उस हिस्से में जहां पर यह वाटर वर्क्स है। इस वजह से वहां पर जाकर इतनी ज्यादा इन पाइप्स में ब्रान्चेज बढ़ गई हैं कि जब तक इस हिस्से तक पानी पहुंचता है तब तक अमीनाबाद और कैसरबाग में पानी का फ्लो बहुत कम हो जाता है और प्रेशर घटता चला जाता है।

अब इसका इलाज हमने क्या किया? जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने खुद ही कहा, १ करोड़ ५२ लाख रुपये की एक ओवरआल स्कीम बनाई जिसके जरिये से हमें यह स्कीम पूरी करनी होगी, तब जाकर पूरे लखनऊ में पानी का इन्तजाम हो सकेगा। लेकिन इसके पहले भी तकरीबन ३६ लाख रुपये की एक और दस लाख रुपये की एक, ये दो स्कीमें चालू कर चुके हैं। लेकिन दिक्कत यह हो गयी कि ३६ लाख रुपये वाली स्कीम में एक मेन डाल रहे हैं। इस मेन को ऐशबाग से लाकर हजरतगंज की तरफ लाने का लक्ष्य था। यह मेन बन जाय तो बहुत सी हमारी दिक्कतें हल हो जायंगी। लेकिन उसमें आकर एक बड़ी बाधा यह पड़ गयी कि रेलवे लाइन बीच में पड़ी हुई है। रकाबगंज का जो पुल है उसको नवम्बर, १९५६ से क्रास करना चाहते हैं। लाइनें दोनों तरफ पड़ गई हैं लेकिन पुल के ऊपर लाइन तभी पड़ सकती है जब गवर्नमेंट आफ इंडिया की इजाजत मिल जाय। नवम्बर, १९५६ से हम गवर्नमेंट आफ इंडिया को इसके मुताल्लिक लिख रहे हैं कि आप अपनी मंजूरी भेजिये और यहां भी लाइन डाल दें। लेकिन अब तक इजाजत हमको वहां से नहीं मिली है। लिहाजा जैसा कि वायदा किया गया था कि इस साल यह दिक्कत हल कर दी जायगी हम अपने उस वायदे को पूरा नहीं कर सके।

इसके अलावा एक स्कीम और है। दस जोन पानी के शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बन रहे हैं। ट्यूबवेल्स हम बनायेंगे और ट्यूबवेल्स के जरिये से बगैर फिल्टर किया हुआ पानी पहुंचायेंगे। ट्यूबवेल के पानी को फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। तीन हमारे ट्यूबवेल्स इस वक्त तक तैयार हुये हैं, लेकिन और जो बकिया हैं वे अब तक नहीं बन सके हैं। ये सब स्कीमें हमारी इस वक्त भी चल रही हैं।

१ करोड़ ५२ लाख रुपये की जो स्कीम है वह पूरी हो जायगी तो पानी की सब दिक्कतें हल हो जायंगी और उस वक्त मेरा खयाल है कि करीब ६० गैलन पर हेड तक पानी हम पहुंचा सकेंगे। आज भी जो पानी फिल्टर किया हुआ ऐशबाग से सप्लाई किया जाता है उसका औसत ३५ गैलन परहेड तक पहुंचता है। लेकिन नतीजा यह होता है कि वेस्टर्न हिस्सा जो है उसमें पानी ज्यादा खर्च हो जाता है और ईस्टर्न हिस्से में वह पानी नहीं आ पाता। उधर जो पाइप्स चले हैं उनके मेन्स में से बहुत से कनेक्शंस दे दिये गये हैं जिनमें पानी बहुत ज्यादा निकल जाता है और यहां आते-आते पाइप लाइन्स में पानी बहुत कम रह जाता है।

इस स्कीम के खत्म होने में एक मुश्किल यह भी पड़ गयी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमको वायदा किया था--हालांकि उन्होंने काफी रुपया भी हमको दिया--हमको फाइव ईयर प्लान में काफी रुपया देंगे। चुनांचे पहले हमको काफी रुपया मिला जिसकी वजह से ये स्कीमें हमने शुरू कर दीं। लेकिन १९५७-५८ में यू० पी० के लिये केवल २० लाख रुपया रक्खा गया है। अगर उसमें से रुपया लिया गया तो शायद लखनऊ के लिये मुश्किल से ४ लाख रुपया हिस्से में पड़े जिसके जरिये से हम अपनी स्कीम्स को आगे बढ़ा सकें। हमारे यू० पी० के बजट में यह समझ करके कि अब तो हमको सेंटर से काफी रुपया मिल जायगा, कोई प्रावीजन इसके लिये नहीं

[श्री सैयद अली जहीर]

किया गया। बहरहाल, ये सब सवालात गवर्नमेंट के जेरे गौर हैं और हमें उम्मीद है कि जब यह स्कीम बन जायगी तो कोई सेक्टर ऐसा नहीं रह जायगा जहां पानी न पहुंचे। जैसा मैंने कहा जो असल में खराबी है, वह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की है। अगर उसको हम हल कर लेंगे तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। गवर्नमेंट बराबर इस कोशिश में है कि यह ठीक हो जाय और मुझे उम्मीद है कि इसके लिये कोई रुपये का इन्तजाम हो जायगा और यह कंडीशन बेहतर हो जायगी और पानी की कमी बाकी नहीं रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष---अब माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं।

*श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि वह बचपन से ही ऐसा देख रहे हैं। वह तो बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन मुझे खुद याद है कि पहले उन मुहल्लों में पानी आता था और यह थोड़ा बहुत जो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स में इजाफा हुआ है, मुझे नहीं मालूम कि उससे कुछ ज्यादा पानी मिलने लगा हो, क्योंकि ३०, ३२ वर्ष पहले पानी रुकता नहीं था। लेकिन अब, एक माननीय सदस्य ने कहा कि कौंसिल हाउस में भी पानी नहीं चढ़ता। मैं तो समझता हूं कि अब सरकार का पानी भी उतर रहा है। यह महज कौंसिल हाउस की बात नहीं है। इस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के पहले तो इतनी शिकायत नहीं थी, लेकिन जो अब तक कुछ हुआ है उसमें हमारे मुहल्ले में ट्यूबवेल से पानी पहुंचाने की डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के मुताल्लिक़ जो सोच रहे हैं कि जब वह मुकम्मिल होगी तो उससे हमारे मुहल्ले को फ़ैज पहुंचेगा। वह तो आने वाला है, लेकिन अब तक जो ट्यूबवेल से डिस्ट्रिब्यूशन स्कीम चालू की गई है, उससे क्या फायदा है? क्या फैज पहुंचा सकेंगे, यह बतलाने की कृपा की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय नेता विरोधी दल लखनऊ के रहने वाले हैं और स्वशासन मंत्री भी लखनऊ के रहने वाले हैं। मुझे ताज्जुब है कि लखनऊ के पानी के बारे में दोनों में इतना मतभेद है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार ने कोई ऐसा हिसाब लगाया है कि जिससे मालूम हो सके कि आजकल लखनऊ के वेस्टर्न इलाके में, वेस्टर्न हिस्से में कितने गैलन पानी पर-हेड मिल रहा है और ईस्टर्न हिस्से में कितने गैलन पर- हेड मिल रहा है?

श्री सैयद अलीजहीर---मेरे खयाल में अलग-अलग तो नहीं मालूम हो सकता, लेकिन यह जरूर है कि जो गऊघाट में हमारी घड़ी लगी हुई है, उससे मालूम होता है कि पूरा पानी शहर भर के लिये कितना खींच रहे हैं और भेज रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---कोई रफ़ अन्दाजा बता सकते हैं कि कितने-कितने गैलन पानी पर-हेड दोनों हिस्सों में पहुंचता है?

श्री सैयद अलीजहीर---इस किस्म की कोई फ़िगर इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी-अभी जो नेता विरोधी दल ने प्रश्न किया है कि कुछ मीटर टूटे हुए हैं, उनको ठीक कर दिया गया है या अलग कर दिया गया है? कितने मुहल्लों में पानी पहुंच रहा है? सभी मुहल्लों में पानी पहुंच रहा है या कुछ में पहुंच रहा है? और कुछ में पूरा पड़ रहा है या सभी में एक सा पानी पहुंच रहा है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सैयद अली जहीर—मेरे पास यह नक्शा मौजूद है, जिससे यह मालूम होता कि एक लाइन अगर खींची जाय करीब-करीब बीच शहर से, जो नजरबाग के पास से गुजरती है, तो उसके उस तरफ—पश्चिम की तरफ— तो पानी काफी पहुंच रहा है और उसके इस तरफ यानी पूर्व की ओर पानी कम होता चला गया है इसकी वजह यह है जैसा कि मैंने कहा, कि पहले २१ इंच के और १८ इंच के तीन पाइप मेन थे, और उन्हीं में से पानी की यह लाइन चली गयी है। अब हुआ यह कि मकान बनते गये और आबादी बढ़ती गयी। इसी वजह से बड़ी लाइन जैसा कि मैंने कहा ३६ इंची बन रही है और हम उसके जरिये से पानी शहर के दूसरे हिस्से में पहुंचाना चाहते हैं। जब तक यह मुकम्मिल नहीं होती है तब तक पानी की कुछ न कुछ कमी जरूर बाकी रहेगी। मगर हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमें इजाजत मिल जायगी और हम इस काम को कम्प्लीट कर सकेंगे।

जहां तक घड़ियों का ताल्लुक है, ऐशबाग की घड़ी ठीक है। लेकिन जो रौक बाटम घड़ी गऊघाट पर रहती है, वह जरूर खराब हो गयी है। ऐशबाग में सफाई होने के बाद जो पानी पहुंचता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है उसकी मिकदार हमको मालूम है।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं माननीय मंत्री का कृतज्ञ होऊंगा, उन्होंने यह नहीं फरमाया कि पानी के वेस्टेज के लिये क्या उपाय कर रहे हैं? मैंने निवेदन किया था कि पानी का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि ४८ इंची का मेन बन चुका है और ३६ इंची का बन रहा है। ४६ लाख रुपया जो खर्च हुआ है वह किसी मसरफ में तो आया है?

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो स्कीम चल रही है इसमें एक खटका पैदा हो गया है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया कम रुपया देगी या बजट में नहीं है तो हम कब तक आशा करें कि लखनऊ में पानी की सप्लाई ठीक हो जायगी?

एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि यह केवल पूर्वी इलाके का सवाल नहीं है बल्कि उत्तरी इलाके का सवाल है जिसका प्रतिनिधित्व माननीय मंत्री जी करते हैं। वहां पानी की इतनी कमी है कि दिन में १०-५ दफा झगड़ा और मनमुटाव हो जाते हैं। नहाने की कौन कहे खाना पकाने तक के लिये पानी नहीं मिलता है।

श्री सैयद अली जहीर—मेरा खयाल यह है कि जैसे ही हमें इजाजत मिल जायगी गवर्नमेंट आफ इंडिया से और पुल के पार लाइन जा सकेगी तो पानी आ सकेगा। इसमें खर्चे का कोई सवाल नहीं है। इसके हो जाने पर बहुत सी दिक्कतें हल हो जायंगी। लेकिन पूरा रिलीफ तो उसी वक्त होगा जब कि यह स्कीम, जो १ करोड़ ५२ लाख रुपये की है, कम्पलीट हो जिस पर ४५ लाख रुपया खर्च हुआ है। जब तक यह स्कीम पूरे तौर से कम्पलीट नहीं होगी तब तक सारी दिक्कतें रफा नहीं होंगी। जहां तक उत्तर के हिस्से का सवाल है वहां के लिये भी एक पाइप बन रहा है और जब वह कम्पलीट हो जायगा तो पानी वहां भी पहुंच सकेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह स्कीम कब तक खत्म हो जायगी?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो हम समझते हैं कि फाइव ईयर प्लान में ही खत्म हो जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन वजूहात से यह स्कीम पूरी नहीं हो सकी ?

श्री सैयद अलीजहीर—वह तो इस सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में है।

श्री त्रिलोकीसिंह—तो क्या मैं समझूं कि अभी चार साल तक आधा लखनऊ पानी के लिये तरसेगा ? आपने पानी के वेस्टेज को रोकने के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं बतलाया तीसरी बात यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यदि आप एक-एक बात पूछें तो माननीय मंत्री जी ठीक तरह से उत्तर दे सकेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह—इजाजत हो तो अर्ज कर दूं। गवर्नमेंट आफ इंडिया से माह अक्तूबर से लिखा पढ़ी हो रही है, जिसको आठ महीने हो चुके हैं। क्या यह मामला रेड टेप हटाकर मिनिस्टीरियल लेविल पर तय नहीं हो सकता है जहां कि लाखों आदमियों के पानी का सवाल है ?

श्री सैयद अलीजहीर—मेरा खयाल है कि अगर पानी का वेस्टेज रुक जाय तो उससे भी बहुत कुछ सिचुएशन इम्प्रूव हो जायगी। उसके लिये वाटर वर्क्स ने स्क्वैड बनाये हैं। जहां कहीं पाइप टूटा हो या वाशर खराब हो तो ये फ्री आफ कास्ट मरम्मत करते हैं। इनका टेलीफोन नम्बर है ३३८९ और ३३८९। अगर इनको इत्तला कर दी जायगी तो कहीं भी ऐसी बात हो वे उसको फौरन रफा कर देंगे। इसके अलावा पब्लिक से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वह टैप को खुला न रखे और अगर कहीं खराब हो तो स्क्वैड को बुलाकर ठीक करा ले। इसके अलावा मीटरिंग के ऊपर भी गौर हो रहा है कि मीटर लगा दिये जायं ताकि लोगों पर कुछ न कुछ चेक हो और उनको मालूम हो कि कितना ज्यादा पानी उनके यहां खर्च हो रहा है। मगर मीटर्स की भी कमी है। गवर्नमेंट प्रिसेजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी में कुल १,५०० मीटर्स फी महीने बनते थे जिनमें से मुश्किल से ७०० मीटर उत्तर प्रदेश को मिलते थे। अब वह रिआर्गेनाइज हो रही है और ४,५०० मीटर्स हर महीने वहां तैयार हो सकेंगे। तब हमें उम्मीद है कि ढाई हजार मीटर हमें मिला करेंगे। तो ये सब चीजें वेस्टेज को रोकने के लिये की जा रही हैं। जब यह सब हो जायगा तो यकीनन पानी का वेस्टेज कम हो जायगा और उसके बाद सप्लाई काफी हो जायगी।

*श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे लखनऊ की बात तो नहीं जानता लेकिन पानी की इतनी मुसीबत है कि विधायक निवास में भी अक्सर सुबह पानी नहीं मिलता है, खास कर पुराने विधायक निवास में। पानी जब देर में मिलता है तो आजकल उसका टेम्परेचर कुछ बढ़ा हुआ होता है जिसकी वजह से आपको भी हाउस का कार्य चलाने में दिक्कत होती है। ३० अप्रैल को जब यहां गरमा गरमी हो गयी थी तो उस दिन भी पानी नहीं मिला था।

इसके बाद एक बात मैं और कहना चाहता हूं जिसका सम्बन्ध पानी से तो नहीं है। लेकिन विधायकों को रहने का बड़ा कष्ट है। कई कमरे ऐसे हैं जो खाली नहीं होते और एक दल विशेष के हाथ में हैं। उनसे अगर खाली करने को कहा जाता है तो वे मंत्री विशेष से या किसी तरह से अपना असर डाल कर कमरा नहीं छोड़ते हैं। ऐसा भी होता है कि कमरे खाली पड़े होते हैं लेकिन लोग ताले डाल जाते हैं और उनको छोड़ते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं। वैसे तो अब हम लोग यूनिवर्सिटी के बाद फिर दो-दो एक कमरे में रख दिये गये हैं और "कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुनबा जोड़ा" वाला किस्सा हो रहा है, लेकिन हम लोगों को बहुत दिक्कत हो गयी है। अतः मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जिन कमरों में ताले पड़े हुए हैं और किसी काम में नहीं आते हैं, उनको खाली करा के जो लोग रहना चाहते हैं उनको वे दे दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—अब यह वाद विवाद समाप्त हुआ। अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १६ मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
९ मई, १९५७।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५४५ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

कतिपय प्रयोजनों के निमित्त १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को संशोधित करने का

विधेयक

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

यह इष्टकर है कि आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को संशोधित किया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६।
ऐक्ट २, १९२४।
यू० पी० ऐक्ट २, १९१४।

(२) उन क्षेत्रों को छोड़ कर, जो ७ जुलाई, १९४९ को यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के उपबन्धों के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटी अथवा नोटीफाइड एरिया में अथवा कैन्टूनमेंट्स ऐक्ट, १९२४ के उपबन्धों के अधीन किसी कैन्टूनमेन्ट् में अथवा यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के उपबन्धों के अधीन किसी टाउन एरिया में सम्मिलित थे, इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१ की अनुसूची ५ के परिच्छेद २ का संशोधन।

२—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) अनुसूची ५ के परिच्छेद (Para) २ में—

(१) उप-परिच्छेद (Sub-para) (१) में शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९५६ के पूर्व" के स्थान पर शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९५७ अथवा ऐसे अन्य दिनांक के पूर्व जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे," रख दिए जायं तथा सदैव से ही रक्खे हुए समझे जायं, तथा

(२) उप-परिच्छेद (३) में शब्द "उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ के दिनांक पर" के स्थान पर शब्द "धारा २४६ के अधीन" रख दिये जायं तथा सदैव से ही रक्खे हुए समझे जायं।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१ की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की अनुसूची ५ के परिच्छद ४ के उप-परिच्छेद (१) में शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९५६ के पूर्व" के स्थान पर शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९५७ के पूर्व अथवा ऐसे अन्य दिनांक पर जिसे राज्य सरकार इस संबंध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे," रख दिये जायं तथा सदैव से ही रक्खे हुए समझे जायं।

४---मूल अधिनियम की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४-क में वर्तमान खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय तथा सदैव से ही रक्खा हुआ समझा जाय, अर्थात्:--

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१ की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४-क का संशोधन।

"(क) अंक और शब्द २० गुना के स्थान पर अंक और शब्द १५ गुना रख दिये गये थे, तथा"

५---मूल अधिनियम की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४-क के पश्चात् निम्नलिखित नये परिच्छेद ४-ख के रूप में बढ़ा दिया जाय---

उ०प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१ की अनुसूची ५ में नये परिच्छेद ४-ख का रक्खा जाना।

"४---ख--(१) १३६३ फसली के खसरा या खतौनी में तथा जब उस वर्ष ऐसा कोई अभिलेख तैयार न किया गया हो तो सबसे अन्त में निर्मित खसरा या खतौनी में, निष्क्रान्त भूमि के अध्यासी के रूप में अभिलिखित कोई भी व्यक्ति कस्टोडियन को ३१ दिसम्बर, १९५७ के पूर्व अथवा ऐसे अन्य दिनांक के पूर्व जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे, ऐसी भूमि पर लागू मौरूसी दरों पर आकलित लगान के बीस गुने के बराबर (Twenty times the rent computed at hereditary rates) धनराशि देगा।

(२) उप-परिच्छेद (१) के अधीन दी गयी धनराशि कस्टोडियन द्वारा संबद्ध इवैकुई (evacuee) के लेखे में जमा कर दी जायगी।

(३) यदि उप-परिच्छेद (१) के अधीन धनराशि का देनदार व्यक्ति है---

(क) उसे तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर देता है तो वह उस भूमि का भूमिधर हो जायगा और उक्त भूमि पर लागू मौरूसी दरों पर आकलित लगान की आधी धनराशि के बराबर मालगुजारी का देनदार होगा, अथवा

(ख) तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर उसे अदा करने में असफल रहता है तो निष्क्रान्त भूमि (evacuee land) में उसके समस्त अधिकार, आगम तथा स्वत्व, यदि कोई हो, अपहृत (forfeit) हो जायंगे और वह कस्टोडियन द्वारा ऐसी रीति से मानो वह कस्टोडियन का पट्टेदार हो बेदखल किया जा सकेगा तथा ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० के बेदखली से संबद्ध समस्त उपबन्ध उस पर तदनुसार लागू होंगे:

ऐक्ट ३१,१९५०।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ३१ दिसम्बर, १९५८ के पश्चात् कोई भी बेदखली का नोटिस जारी नहीं किया जायगा।"

स्पष्टीकरण--इस परिच्छेद में "निष्क्रान्त भूमि" (evacuee land) का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो निष्क्रान्त सम्पत्ति (evacuee property) हो किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भूमि नहीं है :---

(१) कस्टोडियन के प्रदिष्टि गृहीता (allottee) या पट्टेदार के अध्यासन में भूमि, अथवा

(२) डिसप्लेस्ड पर्सन्स कम्पेन्सेशन ऐण्ड रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, १९५५ के अधीन किसी विस्थापित व्यक्ति (displaced-person) को उसके दावे के उपलक्ष्य में उसे प्रदिष्ट भूमि; अथवा

(३) ऐसी भूमि जिसमें अनुसूची ५ द्वारा परिष्कृत १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १६ तथा २० के अधीन भूमिधरी के अधिकार अर्जित किये जा सकते हों।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१ की अनुसूची ५ में नये परिच्छेद ८ का रक्खा जाना।

६--मूल अधिनियम की अनुसूची ५ के परिच्छेद ७ के पश्चात् निम्नलिखित नये परिच्छेद ८ के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"८--धारा १५३ में किसी बात के होते हुए भी, कस्टोडियन अथवा केन्द्रीय सरकार, ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० अथवा डिसप्लेस्ड पर्सन्स कम्पेन्सेशन ऐन्ड रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, १९५५ के अधीन अपने में निहित भूमि में सीरदार के स्वत्व को, विक्रय द्वारा अथवा अन्य रूप से हस्तान्तरित कर सकते हैं:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार का कोई भी हस्तान्तरण तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि कोई व्यक्ति परिच्छेद २, ४, ४-क अथवा ४-ख के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि में भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी रहे।"

उद्देश्य तथा कारण

निष्क्रांत भूमि से सम्बद्ध १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की अनुसूची ५, धारा २० (क) के अधीन अधिवासियों द्वारा कतिपय धनराशियां जमा करने के पश्चात् भूमिधरी अधिकार अर्जित करने के हेतु भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५६ (अधिनियम संख्या १८, १९५६) द्वारा पिछली बार संशोधित हुई थी। अब निष्क्रांत सम्पत्तियों के अंतिम निस्तारण को सुकर बनाने के निमित्त, कस्टोडियन तथा भारत सरकार को उनमें निहित सीरदारी स्वत्वों के हस्तांतरण का अधिकार देने की तथा तदनुसार कतिपय अध्यासियों (occupiers) को वरिष्ठ अधिकार-प्राप्ति (to acquire Superior rights) का अवसर देने की व्यवस्था करना है।

२--अतएव उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एवम् कतिपय संदेहों के निवारणार्थ यह संक्षिप्त विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--४५ एल० ए०--१९५७--७९६।